वार्षिक प्रतिवेदन – 1992-93 ANNUAL REPORT

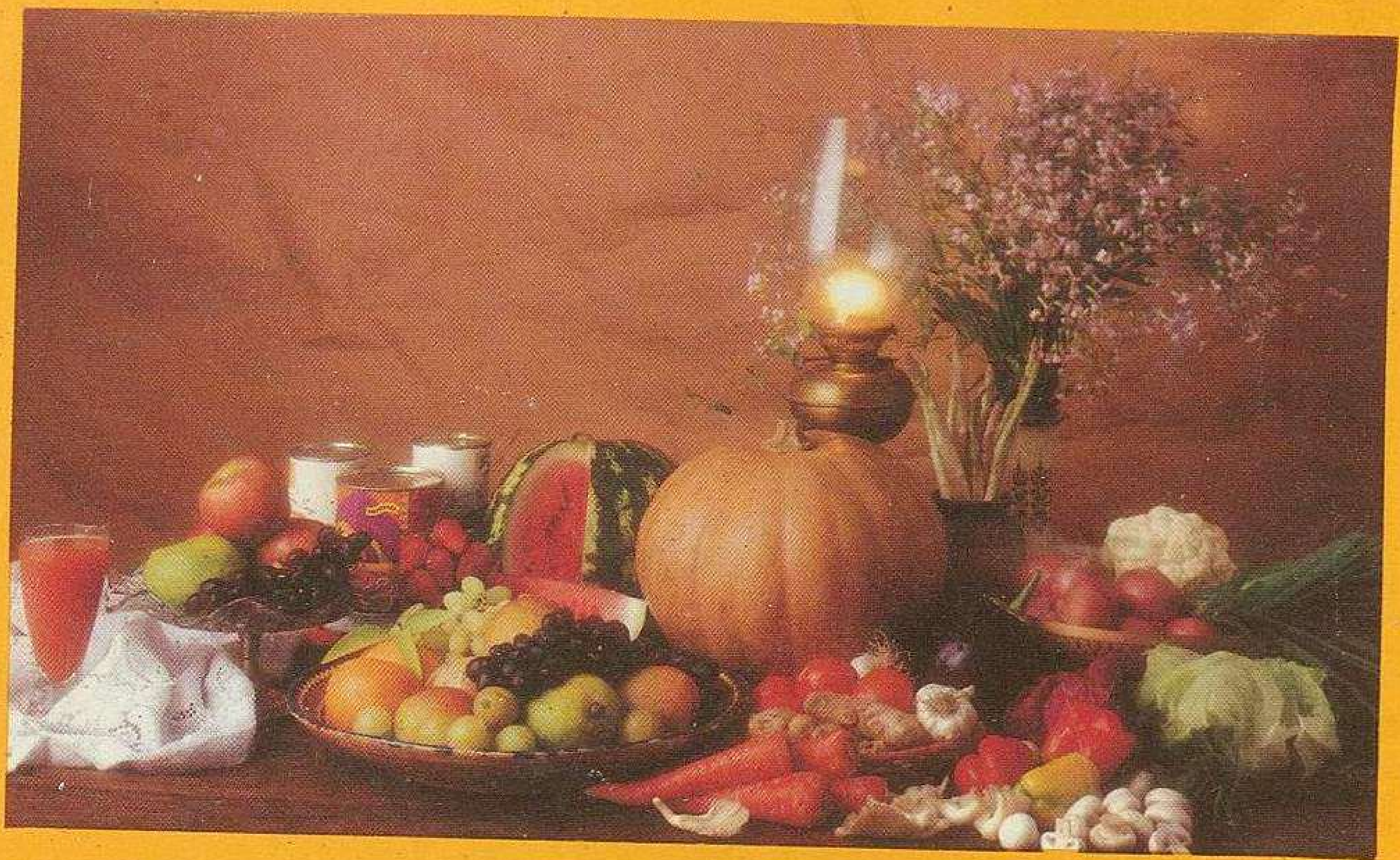

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT
1992-93

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

PARLIAMENT LIBRARY
(Central Govts Publications
Acc. No. P.C..........
Date..........

PARLIAMENT LIBRARY
(Central Govt. Publications)
Acc. No. DC 87397(3)
Date 26.5.95

विषय—सूची

	विषय	पृष्ठ
अध्याय-1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना और उपलब्धियां	1-5
अध्याय-2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य	6
अध्याय-3.	खाद्यात्र मिलिंग उद्योग	7-11
अधयाय-4.	उपभोक्ता खाद्य उद्योग	12-13
अध्याय-5.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	14-17
अध्याय-6.	दूध और दुग्ध उत्पाद	18
अध्याय-7.	मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण	19-21
अध्याय-8.	गहन समुद्री मात्स्यिकी	22-29
अध्याय-9.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	30-35

PARLIAMENT LIBRARY
(Central Govt. Publications
Acc. No. RC............
Date

CONTENT

CHAPTER	I	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES - ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS	1
CHAPTER	II	STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES	6
CHAPTER	III	FOODGRAIN MILLING INDUSTRIES	7
CHAPTER	IV	CONSUMER FOOD INDUSTRIES	12
CHAPTER	V	FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING	14
CHAPTER	VI	MILK AND MILK PRODUCTS	18
CHAPTER	VII	MEAT AND POULTRY PROCESSING	19
CHAPTER	VIII	DEEP SEA FISHING	22
CHAPTER	IX	PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS MODERN FOOD INDUSTRIES (INDIA) LIMITED	30

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्थापना और उपलब्धियां

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

अध्याय 1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना और उपलब्धियां

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गयी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी से किसानों को फायदा पहुंचाने, निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने और प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए मांग बढ़ाने की दृष्टि से एक सुदृढ़ और प्रभावकारी खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर स्थापित करने के लिए यह मंत्रालय एक मुख्य शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है और इसे सौंपे गये कार्यों का निष्पादन कर रहा है।

इस मंत्रालय के विषय इस प्रकार हैं:—

1. फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रीजिंग और डी-हाइड्रेशन सहित)।

2. खाद्यान मिलिंग उद्योग।

3. दूध का पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कण्डेंस्ड दूध, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद।

4. पाल्ट्री और अण्डों, मांस के उत्पादों का प्रसंस्करण तथा रेफ्रीजेरेशन।

5. मछली का प्रसंस्करण (डिब्बा-बंदी और फ्रीजिंग सहित)।

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था।

7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श।

8. समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मात्स्यिकी।

9. ब्रेड, तिलहनों, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, कन्फैक्शनरी (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट उत्पादन सहित), माल्ट एक्सट्रक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन फूड, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थों (अन्य तैयार खाद्य पदार्थों सहित) से संबंधित उद्योगों के लिए योजना तैयार करना, उनका विकास करना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।

11. गैर-एल्कोहालिक बीयर सहित बीयर।

12. गैर-शीरे के बेस से एल्कोहालिक पेय।

13. वातित जल/साफ्ट ड्रिंक्स तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य

देश के आर्थिक उदारीकरण के नये युग में प्रवेश करने और भारतीय उद्योग एवं व्यापार के सार्वभौमीकरण के फलस्वरूप रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय की भूमिका में काफी परिवर्तन हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्वस्थ विकास का एक सामान्य वातावरण उत्पन्न

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES - ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

Ministry of Food Processing Industries set up in July, 1988 continue to perform its assigned task and act as a prime force for creating strong and effective food processing sector with a view to create increased job opportunities in rural areas, enabling the farmers to reap benefit from modern technology, create surplus for exports and stimulating demand for processed food.

The subjects which are looked after by the Ministry are as under:

(i) Fruits and vegetable processing industry (including freezing and dehydration).

(ii) Foodgrain milling industry.

(iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee, etc.

(iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat and meat products.

(v) Processing of fish (including canning and freezing).

(vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.

(vii) Technical assistance and advice to food processing industry.

(viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.

(ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

(x) Specialised packaging for food processing industries.

(xi) Beer, including non-alcoholic beer.

(xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.

(xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed foods.

Consequent upon ushering in of a new era of economic liberalisation in the country and globalization of Indian industry and trade the role of the Ministry has undergone substantial change during the period under report. The Ministry, further reorganized itself to act as a catalyst for getting

करने के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने अपना पुनर्गठन किया। औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के माध्यम से फरवरी 1992 तक 25343 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्राप्त हो चुके हैं। सरकार ने लगभग 4000 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इन पूंजी निवेशों से ऐसा अनुमान है कि 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को नियमित प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। जहां तक अप्रत्यक्ष रोजगार का प्रश्न है यह इससे काफी अधिक होगा।

इस वित्तीय वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में भी वृद्धि हुई है। परन्तु खाद्य प्रसंस्करण के कुछ उप-सेक्टरों में वृद्धि दर अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पायी।

खाद्यान्न प्रसंस्करण सेक्टर में छोटी चावल मिलों के आधुनिकीकरण की गति लगभग पहले वर्षों के बराबर ही रही और 1 जनवरी 1993 को आधुनिकीकृत चावल मिलों की कुल संख्या 32969 थी जबकि 1970 तक यह संख्या शून्य थी। इन मिलों से अच्छे किस्म का ब्रान (चोकर) उपलब्ध होने से 1970-71 में 1.87 लाख टन की तुलना में 26.05 लाख टन ब्रान प्राप्त किया गया।

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को आवश्यक तकनीकी सहायता देना और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि आयोजित करना जारी रखा। उपस्करों की जॉच, मशीनरी के चयन, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को 4 परीक्षण केन्द्रों से आवश्यक सहायता मिलती रही। तंजाबूर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र ने चावल मिलिंग की नई तकनीकों और यार्ड ड्राइंग प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजनायें सफलतापूर्वक पूरी की। इन पद्धतियों का विस्तार इस केन्द्र और देश में दूसरे केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण के इंजीनियरी पहलू के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना के लिए कदम उठाये हैं। यह केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करेगाः—

(1) नये उत्पादों का विकास।

(2) प्रसंस्करण का विकास, उन्नयन और उसे अधिकतम बनाना।

(3) संयंत्र की खराबियों और समस्याओं को दूर करना।

(4) संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना और आंकड़े बनाना।

(5) विशेष प्रकार के संयंत्र में दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(6) सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए टर्नकी आधार पर कार्य।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में लगभग 125 नई रोलर आटा मिलों को चालू कर दिया गया है। लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिल के गेंहूँ उत्पादों (गेंहूँ के स्थान पर) की आपूर्ति करने का एक परीक्षण दिल्ली में आरंभ किया गया है। दिल्ली में रोलर आटा मिलिंग उद्योग ने यह स्कीम सफलतापूर्वक चलाई है। इससे रोलर आटा मिलिंग उद्योग के क्षमता उपयोग में सुधार लाने में मदद मिली है।

खाद्यान्न प्रसंस्करण सेक्टर में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी 9 मामलों का अनुमोदन किया गया है। ये मुख्यतः बासमती चावल, साधारण चावल और दालों के निर्यात के लिए हैं जिसमें से चार को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

larger investments in food processing sector, increasing exports and creating a general atmosphere for healthy growth of the food processing industries. Investment proposals through Industrial entrepreneur memorandum (IEM) for Rs.25,343 Crores have been received upto February, 1993. Government have approved various proposals worth about Rs.4,000 Crores. With all these investments, it is estimated that a regular direct employment for over 4 lakhs persons would be created. The indirect employment, of course, will be much larger.

In this financial year, the industrial production as such registered a positive growth. Food Processing Sector also registered a positive growth, However, in some sub-sectors of food processing, growth rate has not been of the desired level.

In the Grain Processing Sector, the pace of modernisation of small rice mills remained more or less the same as in previous years and the total number of modernised rice mills as on Ist January, 1993 were recorded to be 32,969 as against **nil** in 1970. As a result of improved bran availability from these mills, the processing of bran was recorded to be 26.05 lakh tonnes as against 1.87 lakh tonnes in 1970-71.

The regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology, Kharagpur continued to provide requisite technical assistance to the milling industry and conduct short duration training courses etc. Four testing centres provided necessary assistance to the machinery manufacturers and millers for testing of equipment, selection and operation and maintenance of machinery. The Paddy Processing Research Centre at Thanjavur has successfully completed projects for new techniques for milling of rice and modernisation of yard drying systems. The extension of these methods are being undertaken by the Centre as well as by other centres in the country.

To meet the growing demand for engineering aspect of the food processing, the Ministry has taken steps to set up a Food Engineering Centre to be located at Central Food Technology Research Institute, Mysore. The Centre will work inter alia in the following areas:

i) development of new products

ii) development, scale up and optimization of processes

iii) solving inplant problems and trouble shooting

iv) preparation of technical reports, design data for plant and machinery

v) specialised inplant training programmes

vi) turnkey assignments for total projects.

About 125 new roller flour mills have been commissioned in the country during the period under review. An experiment of supplying milled wheat products through PDS (instead of wheat) has been initiated in Delhi. The Roller Flour Milling Industry in Delhi have successfully operated this scheme. This has helped improvement of capacity utilisation of the Roller Flour Milling Industry.

In the Grain Processing Sector, 9 cases of 100% EOUs have been approved in the States of Punjab, Haryana, Gujarat and Maharashtra mainly for exports of basmati rice, ordinary rice and pulses out of which four have already been implemented.

उपभोक्ता उद्योगों में उच्च प्रोटीन खाद्यों और सर्वाधिक उर्जादायक खाद्यों के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है। एक्सट्रूडेड खाद्यों की सामान्य वृद्धि दर कायम रही है। श्वेत पेयों और भूरे रंग के पेयों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

फल और सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर में अनुमानित संस्थापित क्षमता दिसम्बर, 1991 के अन्त तक 9.5 लाख टन की तुलना में बढ़कर दिसम्बर, 1992 के अन्त्त तक 11.08 लाख टन हो गयी है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त यूनिटों की कुल संख्या 31.12.91 को 3925 की तुलना में बढ़कर 31 दिसम्बर, 1992 को 4057 यूनिट हो गयी। इस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 25 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और 5 निर्यातोन्मुखी फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। अचार, चटनियां, परिरक्षकों, जैम, जैली, मुरब्बा, स्क्वैस, चटनियों और सिरका जैसे पारम्परिक फल उत्पादों के उत्पादन में संतुलित वृद्धि रही जबकि अपारम्परिक फल और सब्जी उत्पादों जैसे फ्रोजन उत्पाद, सुखाये गये/निर्जलीकृत फलों और सब्जी उत्पादों, फलों के रस और सान्द्रणों और खाने के लिए तैयार फल उत्पादों में तुलनात्मक रूप से वृद्धि दर बढ़ी है। परन्तु पीने के लिए तैयार फल आधारित पेयों में वृद्धि अन्य फल उत्पादों में वृद्धि के अनुरूप नहीं रही। फल उत्पादों का निर्यात अप्रैल 1992 से फरवरी 1993 तक निरंतर बढ़ता रहा और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 82.38 करोड़ रुपये की तुलना में यह बढ़कर 150 करोड़ रुपये का हो गया। रूस और सी०आई०एस० देशों को होने वाले निर्यात में बाधा के बावजूद भी निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्यात 200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

जुलाई 1991 में दुग्ध उत्पाद उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के बाद उद्यमियों द्वारा दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए यूनिटों की स्थापना हेतु 700 से अधिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गये हैं। किंतु इसके पश्चात सरकार ने जून 1992 में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 की घोषणा की जिसके तहत अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को दुग्ध नियंत्रक के पास पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण और दुग्ध शेडों के आबंटन इत्यादि में विलम्ब के कारण इन नये यूनिटों की स्थापना करने में कुछ बाधा उत्पन्न हुई है। दुग्ध छेना और ह्वे प्रोटीन तैयार करने के लिए विदेशी सहयोग वाले एक संयुक्त उद्यम का अनुमोदन किया गया है।

मांस और मांस उत्पादों के मामले में निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में नये प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की नयी प्रवृत्ति देखी गयी है। हैदराबाद के निकट निजी क्षेत्र में एक बड़ा कसाईखाना उत्पादन के लिए अब तैयार है। पंजाब में एक नया भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्र संयुक्त सेक्टर में अनुमोदित किया गया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मांस परियोजनाओं में 6 निर्यातोन्मुखी यूनिटों का अनुमोदन किया गया है और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मांस परियोजनाओं में 6 निर्यातोन्मुखी यूनिटों का अनुमोदन किया गया है और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्यातोन्मुखी यूनिटों के रूप में पहली बार अंडा प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं जिनके लिए 4 अनुमोदन मंजूर किए गये हैं। अप्रैल 92 से फरवरी 1993 तक 270 करोड़ रुपये मूल्य के मांस उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 202 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। मांस उत्पादों के मामले में यह अनुमान है कि 1992-93 के अन्त तक निर्यात 330 करोड़ रुपये से अधिक होगा। पहली बार प्रसंस्कृत मुर्गियों का भी निर्यात किया गया भले ही इस निर्यात की मात्रा बहुत कम थी।

गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर में मंत्रालय द्वारा संयुक्त उद्यम, पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी की नीति के कार्यान्वयन के लिए चलाये गये सशक्त अभियान के परिणामस्वरूप 26 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनके कार्यान्वित होने पर संसाधनों के दोहन विशेषतया टूना और कुछ अन्य मछलियों जिनका अभी तक पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है, के दोहन के लिए 113 बड़े गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों की अभिवृद्धि होगी। इन उद्यमों में से कुछ में मूल्य वर्धित मछली उत्पाद तैयार करने के लिए कम मूल्य की मछलियों का जलयान पर प्रसंस्करण भी शामिल है। इन अनुमोदित स्कीमों में 6 उद्यमों ने 1992 के अंत तक 7 बड़े जलयानों द्वारा अपने प्रचालन पहले ही आरंभ कर दिए हैं और 1992-93 के अंत तक 6 और परियोजनाओं को परिचालित किए जाने की संभावना है। परीक्षण मात्स्यिकी और पट्टेदारी के 23 संयुक्त उद्यम प्रस्तावों में करीब 60 लाख अमरीकी डालर का विदेशी निवेश निहित है।

गहन समुद्री मात्स्यिकी के अलावा 1992-93 के दौरान मछली प्रसंस्करण और विपणन के लिए 100 प्रतिशत

In the consumer industries, production of high protein food and high energy food has increased marginally. Extruded foods have maintained its usual growth rate. The production of White beverages and brown beverages have also maintained its growing trend.

In the fruits & vegetable processing sector, the estimated installed capacity has increased from 9.5 lakh tonnes at the end of December, 1991 to 11.08 lakh tonnes at the end of December, 1992. The total number of units licensed under Fruit Products Order, 1955 have increased from 3925 as on 31.12.91 to 4057 as on 31st December, 1992. During this period 25 proposals for setting up 100% export oriented fruit and vegetable processing units have been approved and five fruits and vegetable processing export oriented units have come into production. While the production of traditional fruit products like pickles, chutneys, preserves, jams, jellies, marmalades, squashes, sauces and vinegar continued to maintain steady growth, non-traditional fruits and vegetable products like frozen products, dried/dehydrated fruits and vegetable products, juices and concentrates and ready-to-eat fruit products have shown a comparatively increasing growth rate. However, in RTS fruit based drinks, growth has not been commensurate with the growth of other fruit products. The exports of fruit products have consistently been increasing and from April, 1992 to February, 1993, the estimated export was Rs.150 Crores as against Rs.82.38 Crores during the corresponding period last year. This increasing trend was noticed in spite of the set-backs in exports to Russia and CIS countries. By end of the financial year exports were expected to touch Rs.200 crores

Since he delicensing of milk products industry in July, 1991, over 700 memoranda have been filed by the entrepreneurs for the establishment of milk products manufacturing units. But subsequent to that the government in June, 1992 promulgated a Milk and Milk Products Order 1992 which under Section 3 of the Essential Commodities Act requires traders using more than 10,000 ltrs. a day to get reregistered with the Milk Controller. Delay in registration and allocation of milk sheds, etc. have caused some set back for setting up of these new units. One joint venture unit with foreign collaboration for manufacture of milk caesins and whey proteins has been approved.

In the meat and meat products, a new trend of setting up of new processing plants in the private sector and joint sectors has been noted. One large Abattoir in the private sector near Hyderabad is now ready for production. A new buffalo meat processing plant in Punjab has been approved in joint sector which is under implementation. This Ministry provided financial assistance for these projects. In the meat projects, 6 EOUs have been approved and are under implementation. For the first time egg processing plants are also being set up as EOUs for which 4 approvals have been granted. Export of meat products from April to February, 1993 were Rs.270 Crores, as against Rs.200 crores in the same period last year. In the case of Meat and meat products, it is expected that by the end of 1992-93 the exports may cross Rs.330 Crores. For the first time processed chicken has also been exported, though in small quantities.

In deep sea fishing sector, as a result of vigorous drive of the Ministry for implementation of policy of joint venture, leasing and test fishing, 25 proposals have been approved which when implemented will add 113 large deep sea fishing vessels to exploit the resources, particularly of tuna and some other fish which were hitherto not exploited fully. Some of these ventures also include on-board processing of low value fishes to produce value added fish products. Of these schemes approved, 6 ventures have already started their operation with 7 large vessels. By the end of 1993, six more projects are likely to be operationalised. Of the joint ventures, test fishing and leasing 23 joint venture proposals involve foreign investment of about US $ 6 million.

Apart from deep sea fishing, 36 proposals for setting up 100% EOUs for fish processing

निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने हेतु 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गये हैं। इन प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यमों के लिए हैं। इन परियोजनाओं में कुल विदेशी निवेश 120 लाख अमरीकी डालर होने का अनुमान है। 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले ताजे जल में मत्स्य पालन, चारा मिल और मछली प्रसंस्करण के लिए एकीकृत परियोजनाओं की पहली बार अनुमति दी गयी है और इसका प्रयोजन 1500 मी॰ टन प्रति हेक्टेयर तक ताजे जल की झींगा का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना है।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई। अप्रैल से दिसम्बर 1992 के दौरान 1, 32541 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 1180 करोड़ रुपये था जबकि 1991 की इसी अवधि में यह निर्यात 1,18,249 टन था जिसका मूल्य 1002.91 करोड़ रुपये था। यूनिट मूल्य भी 1991-92 के 84.81 प्रति किलो से सुधर कर 92-93 में 89.04 प्रति किलो हो गया।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने समुद्री संसाधनों के प्रभावकारी दोहन के लिए समुद्रतटीय भारतीय राज्यों और मात्स्यिकी जलयानों को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करना जारी रखा। इसके द्वारा अंडमान समुद्र में लाॅबस्टर का पता लगाये जाने से मात्स्यिकी उद्योगों को अंडमान तट से समुद्री उत्पादों के अधिक दोहन में मदद मिली। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में फिन फिश का कुछ समय पहले पता लगाये जाने से अरब सागर से अच्छी तादाद में समुद्री मछली प्राप्त करने की अच्छी भावी संभावनाएं हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1992-93 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय विकास के लिए प्राइवेट पहल को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय आठवीं योजना के मूल उद्देश्य के अनुसार मंत्रालय ने अपनी योजना तैयार की जिसमें सरकार को सुविधायें उपलब्ध कराने वाले की भूमिका अदा करनी है। योजना में उन क्षेत्रों के लिए सरकारी सेक्टर का पूंजी निवेश निहित है जहां निजी क्षेत्र के पहल की कमी है, और इस सेक्टर के विकास के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी सुविधाओं के विकास में मदद देकर आवश्यक गति प्रदान करना है। सहकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या स्वैच्छिक सेक्टर में होने वाले लोगों के प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया जाना है। योजना आयोग ने जहां आठवीं योजना के लिए 146 करोड़ रुपये परिव्यय अनुमोदित किया वहां वर्ष 1992-93 के लिए 40 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों का कार्यान्वयन कर लिया गया है और उनके लिए सहायता प्रदान की गई थी जैसा कि आगे के अध्यायों में उल्लेख किया गया है।

मंत्रालय ने राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसियों को चुनने का अनुरोध किया था। अधिकांश राज्यों ने अपनी नोडल एजेंसियों को मनोनीत कर लिया है। ऐसी आठ नोडल एजेंसियों को सहायता भी प्रदान कर दी गई है जिन्होंने अपनी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता मांगी थी।

राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्र के संबंधित राज्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में चार क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पशुपालन, मात्स्यिकी, उद्योग आदि विभागों के प्रभारी मंत्रियों ने भाग लिया था। अनेक मुख्य मंत्रियों ने इसमें काफी रुचि दिखाई और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के साथ अलग-अलग विचार विमर्श किया था और दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय बैठक में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने भाग लिया था। इन बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तीव्र विकास के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया था।

अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षण संघ, खाद्य व्यापार एवं उद्योग संघ, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, लघु और मझोले देशों की विश्व असेम्बली और नेशनल एलायंस आफ यंग इंटरप्रेन्युअर्स आदि द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों में भी मंत्रालय ने सहायता की और भाग लिया। मंत्रालय ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आहार 1993 खाद्य प्रदर्शनी में भी भाग लिया और सहायता प्रदान की।

Exports of Processed Foods
(Including processed cereals)

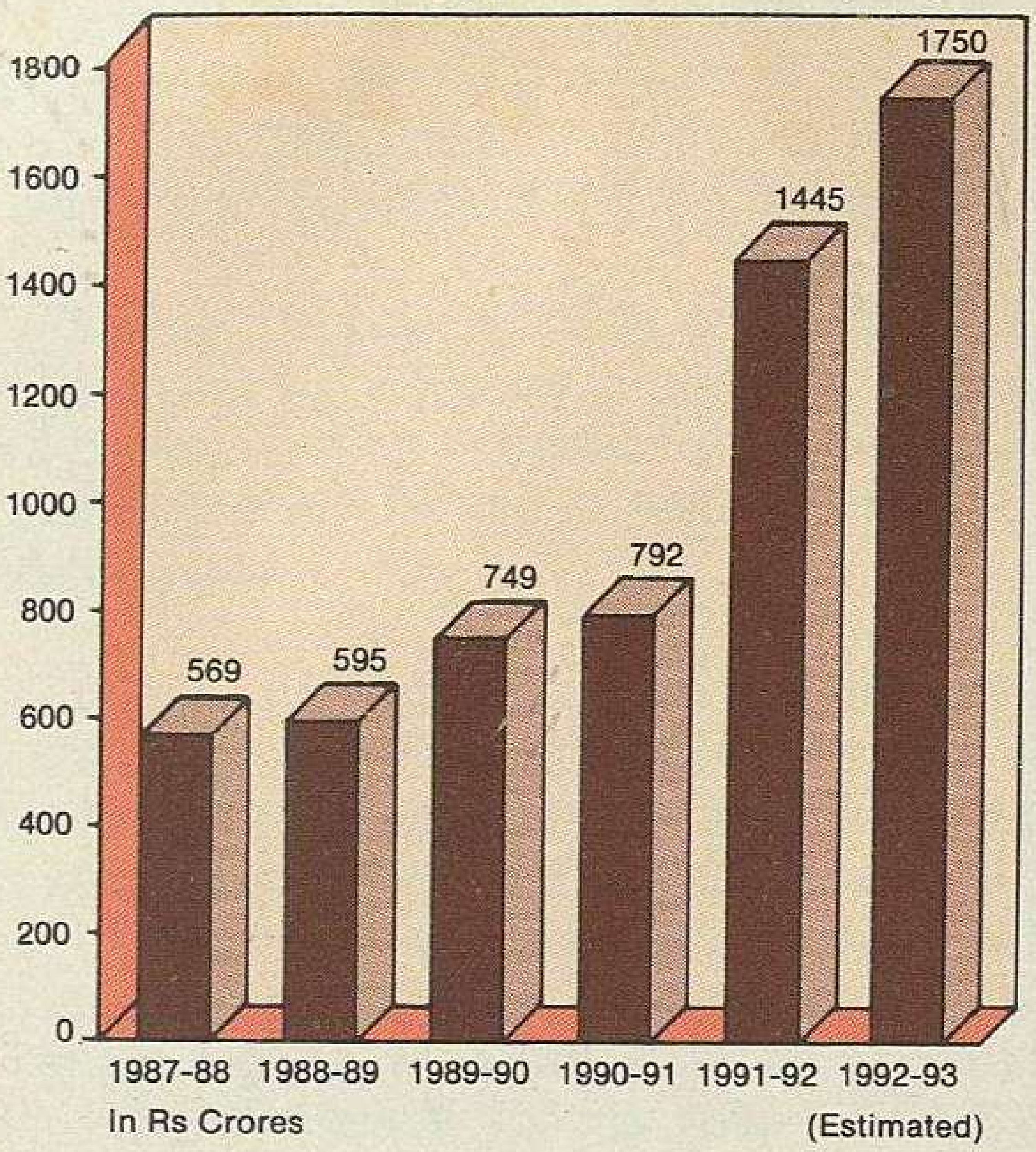

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता

Installed Capacity of F & VP Industry
(as on 1st Jan. of the Year)

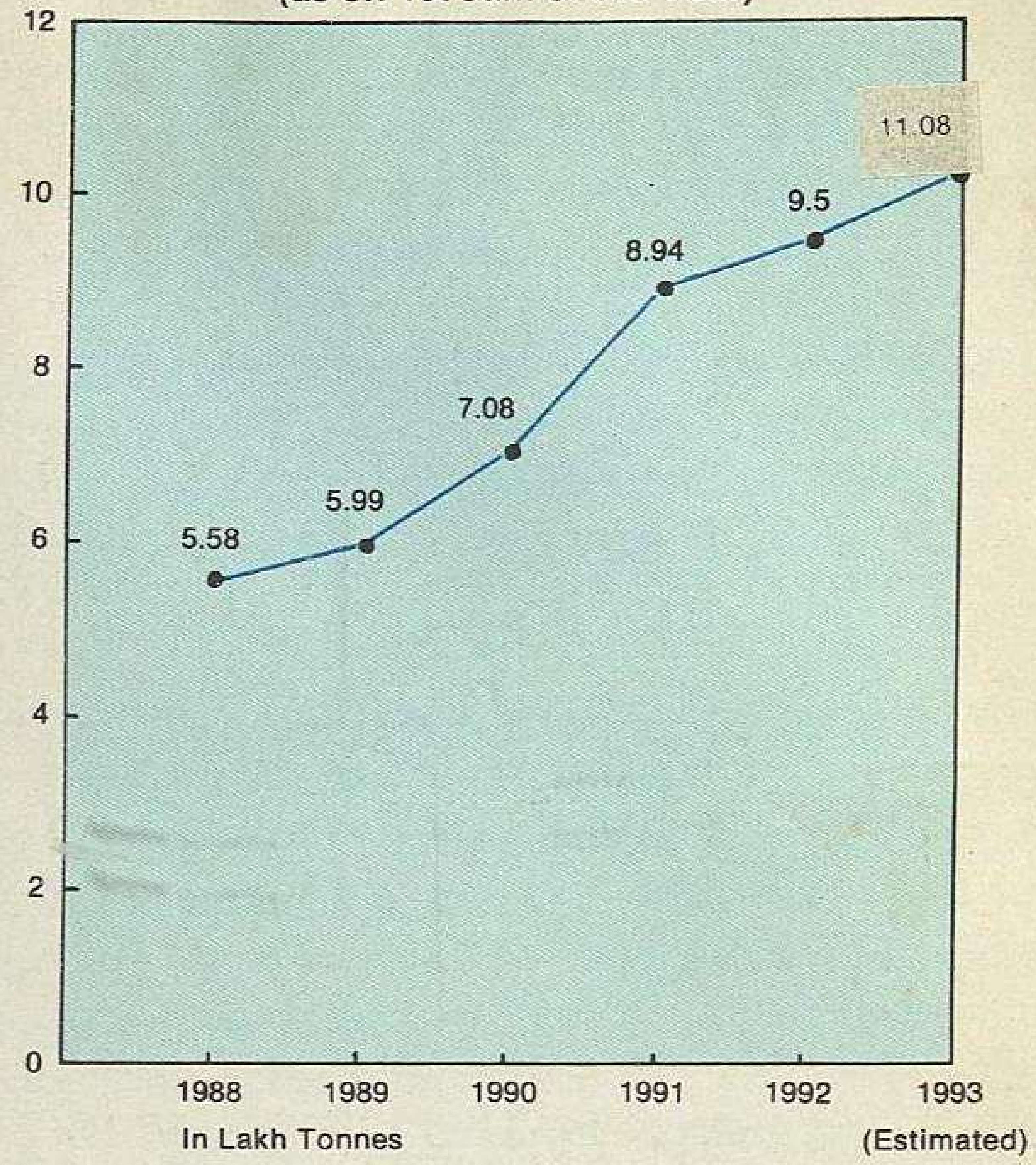

समुद्री उत्पाद का निर्यात

Exports - Marine Products

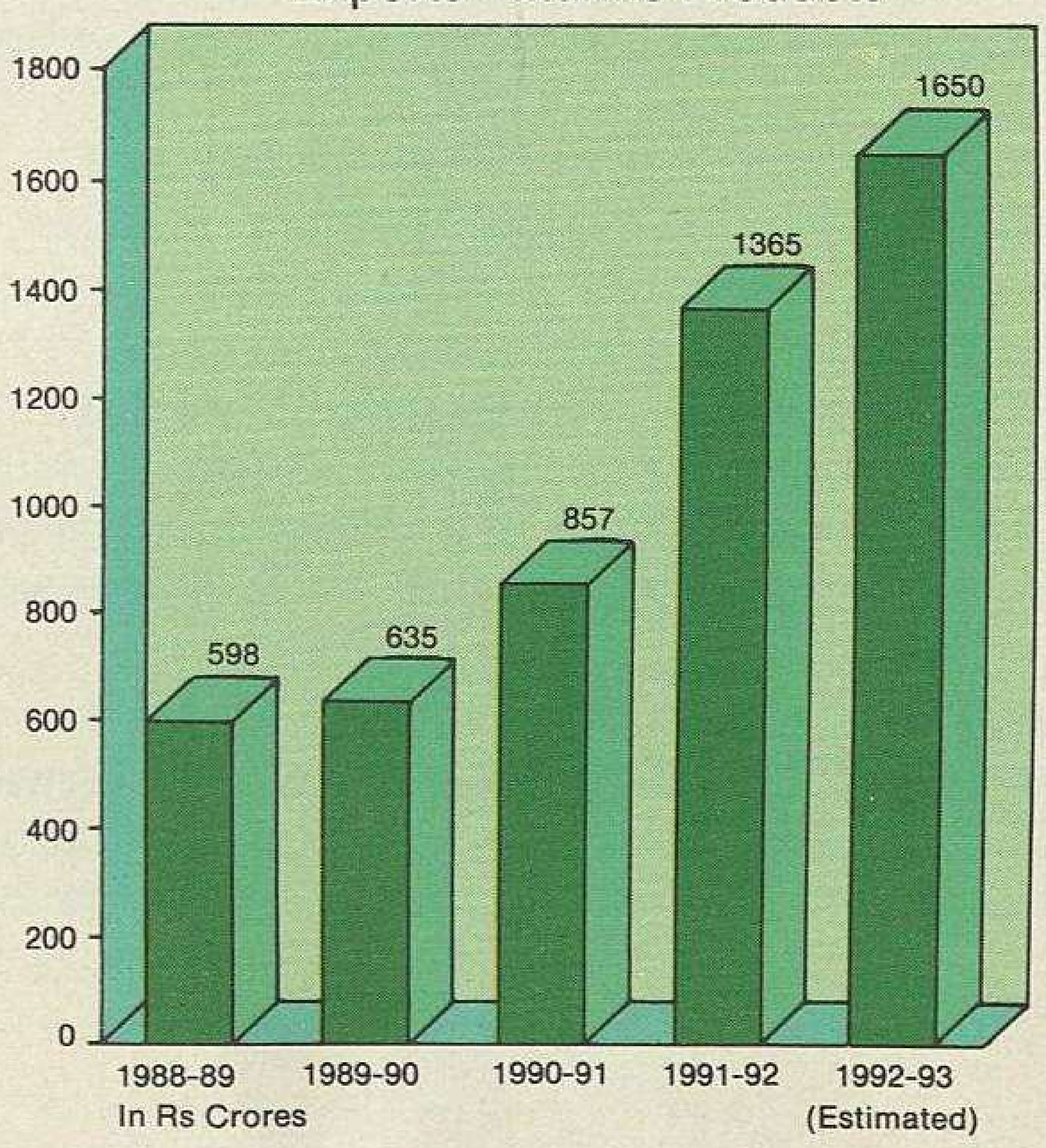

फल उत्पाद आदेश लाईसंसकारियों की संख्या

No. of licensed units under FPO

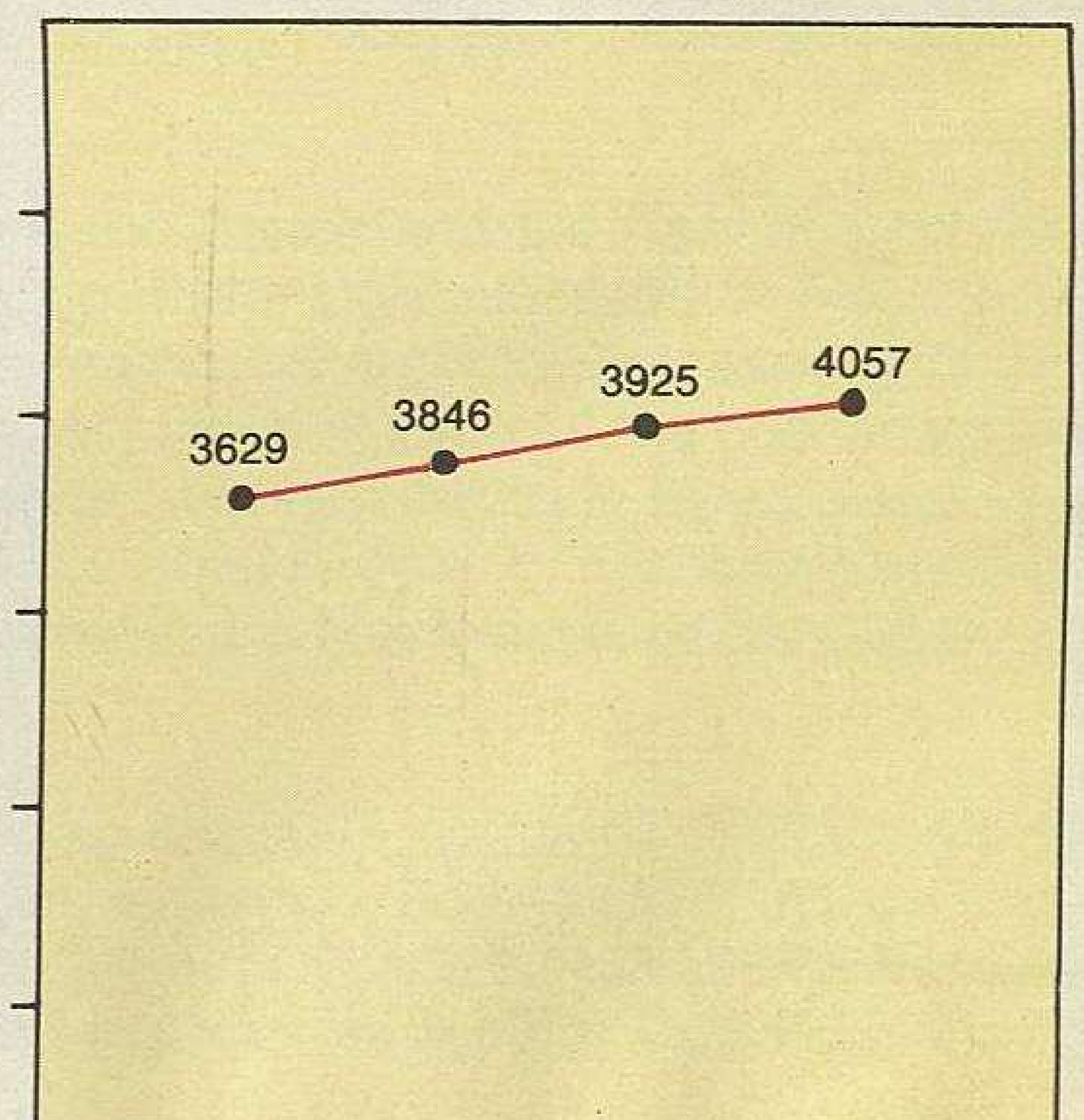

and marketing have been cleared during 1992-93. Seven out of these proposals are for joint ventures with foreign equity participation. Total foreign investment in these projects is expected to be US $ 12 million. Integrated projects for fresh water aqua-culture, feed mill and fish processing with 100% foreign equity participation have been permitted for the first time to achieve a production of fresh water prawns upto 1500 MT per hectare.

Export of marine products showed an increasing trend. During April-December, 1992, 1,32,541 tonnes of marine products valued at Rs.1180 crores was exported as against 1,18,249 tonnes, valued at Rs.1002.91 crores in the corresponding period of 1991. The unit value realisation also improved from Rs.84.81 per kg in 1991-92 to Rs.89.04 per kg in 1992-93.

Fishery Survey of India continued to give valuable inputs to maritime Indian states and fishing vessels for effective exploitation of marine resources. Its findings of lobster in Andaman waters helped fishing industries to richer haul of marine products from these waters. FSI's new recording of certain fin fish in Arabian Seas holds better future prospects of better marine harvest in Arabian Seas.

Implementation of the Eight Five Year plan began from the year 1992-93. In line with the basic thrust of the national Eighth Plan to unfetter private initiative for national development, the Ministry formulated its Plan wherein the Government is to act as a facilitator. The Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provide requisite stimulus by way of incentives and help development of infrastructure for the growth of this sector. Peoples efforts, may these be in the cooperative sector, private sector or voluntary sector, are also sought to be encouraged. While the Planning Commission approved a Plan outlay of Rs. 146 crores for the 8th Plan, the outlay for the year 1992-93 was Rs. 40 crores. The schems formulated for the development of different sectors have been implemented and the assistances provided are indicated in the subsequent Chapters.

The Ministry had requested the States to nominate nodal agencies for coordinating with the Central Government as well as with the different Departments of the States for the purpose of development of food processing industries in the States. Most States have nominated their nodal agencies. Plan assistance has also been provided to eight such nodal agencies who sought such assistance for strengthening their infrastructure.

In order to develop closer coordination between the States and the Central Government, four regional meetings were held under the Chairmanship of the Union Minister of State for Food Processing Industries with the concerned States of the regions wherein the Ministers in-charge of Food Processing, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Industries etc. of the concerned States had attended. While many Chief Ministers took keen interest and had separate discussions with the Union Minister of State for Food Processing Industries, the Chief Minister of Karnataka participated in the regional meeting of the Southern States. In these meetings ideas were exchanged for faster development of the food processing industries.

Ministry also assisted and participated in various seminars oganised by All India Food Preservers' Associatioon, Confederation of Food Trade and Industries, Federation of Indian Chamber of Commerce & Industries, World Assembly of Small and Medium Enterprises, National Association of Young Enterpreneous etc. Ministry also participated and assisted the AHARA 1993 Food Exhibition held at Pragati Maidan, New Delhi.

इसके अलावा मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न पहलुओं पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने और अध्ययन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों, सहकारिताओं और दूसरे संगठनों को भी सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न उप सेक्टरों के लिए निष्पादन पुरस्कार भी आरंभ किये हैं।

मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से ''प्रोजेक्ट अपरच्यूनिटीज फार फूड इंडस्ट्रीज'' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें 50,000 रु० से लेकर 10 लाख रुपये तक के पूंजी निवेशों वाले लगभग 130 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की परियोजना रूपरेखा दी गई है। इच्छुक उद्यमियों को सूचना प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसियों के पास यह पुस्तक उपलब्धं कराई गई है।

विदेशों में और देश के अंदर भावी इच्छुक पूंजी निवेशकों को जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से मंत्रालय ने ''फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया'' इन्वेस्टमेंट अपरच्यूनिटीज'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों, चैम्बर्स आफ कामर्स इण्ड इंडस्ट्रीज, राज्य सरकारों और भारत स्थित विदेशी मिशनों के पास भेज दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समस्याओं को इस उद्योग द्वारा समय-समय पर उजागर किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर 1991-92 के केन्द्रीय बजट में अनेक रियायतें दी गयी थीं। कांच की बोतलों और पैकेजिंग के कुछ अन्य क्षेत्रों में 1992-93 के बजट में और रियायतों को जारी रखना और 1991-92 में दी गई शुल्क रियायतें प्रभावकारी सिद्ध हुईं जिससे इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिली। 1993-94 के बजट प्रस्तावों में पूंजीगत सामान, मशीनरी, पैकिंग सामग्री और कुछ उत्पादों पर और वित्तीय रियायतों का प्रस्ताव किया गया है।

Besides, the Ministry assisted various State Government organisations, Cooperatives and other organisations for preparation feasibility reports and studies on the various aspects of food processing industries. Ministry has also introduced performance awards to the various sub-sectors of the food processing industries.

The Ministry in collaboration with CFTRI brought out a book titled "Project Opportunities for Food Industry" containing project profiles of about 130 food processing units with investments ranging between Rs. 50,000 to Rs. 10 lakhs. The book is being made available to the nodal agencies for dissemination of information to the prospective entrepreneurs.

With a view to provide information to the prospective investors from abroad and within the country, the Ministry published a Book titled "Food Processing Industries in India"-Investment Opportunities" which has been sent to the Indian Missions abroad, Chambers of Commerce & Industries, State Governments and foreign Mission in India.

Problems faced by the food processing industries have been highlighted from time to time by the industry. Based on the recommendations made by the Ministry, a number of concessions were given in the Union Budget for 1991-92. Further concessions were made available in some areas of packaging as in glass bottles and some other areas in the Budget of 1992-93 and the duty concessions given in 1991-92 continued to be effective and helped attracting investments in this sector. In the Union budget proposals of 1993-94 further Fiscal reliefs for the capital goods, machines, packaging materials and some other products have been proposed.

अध्याय 2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना समर्थ एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में की गयी थी। अतः कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने, कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, फसल पूर्व और फसलोत्तर बर्बादी को कम करने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपयुक्त प्राप्ति में सक्षम उद्योगों को अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उदयोगों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अन्तर्गत इसे आबंटित विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार का एक अभिकरण है। अतः यह मंत्रालय उद्योग के स्वस्थ विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, राज्य सरकारों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी और क्वालिटी मानकों के उन्नयन, घरेलू बाजार को सक्रिय करने, निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने और जब कभी आवश्यक हो करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रेरक नीति का वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। यह विदेशी सहयोग और निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करता है और सामान्यतः अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। अतः मंत्रालय के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है।

1. विकासात्मक एवं उन्नायक
2. विनियमनकारी और
3. तकनीकी और परामर्शी

ये कार्य केन्द्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपादित किए जाते हैं जिनमें विषय विशेपज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय के वर्तमान संगठन को दर्शाने वाला चार्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-1)

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मैसर्स मा`डर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहटी नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो पूर्णतः खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से संबद्ध हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों का संगठनात्मक ढांचा

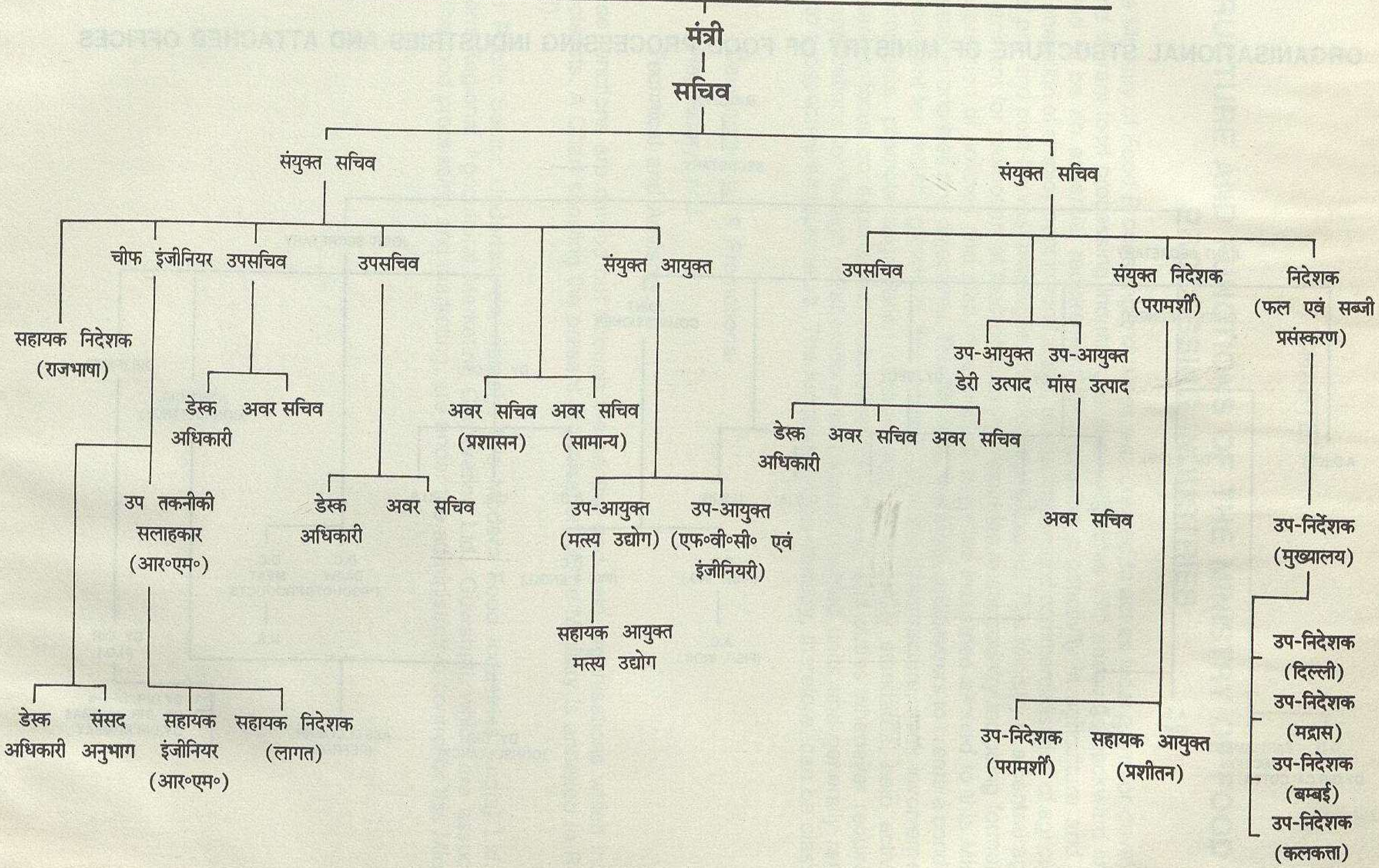

Annexure-I

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND ATTACHED OFFICES

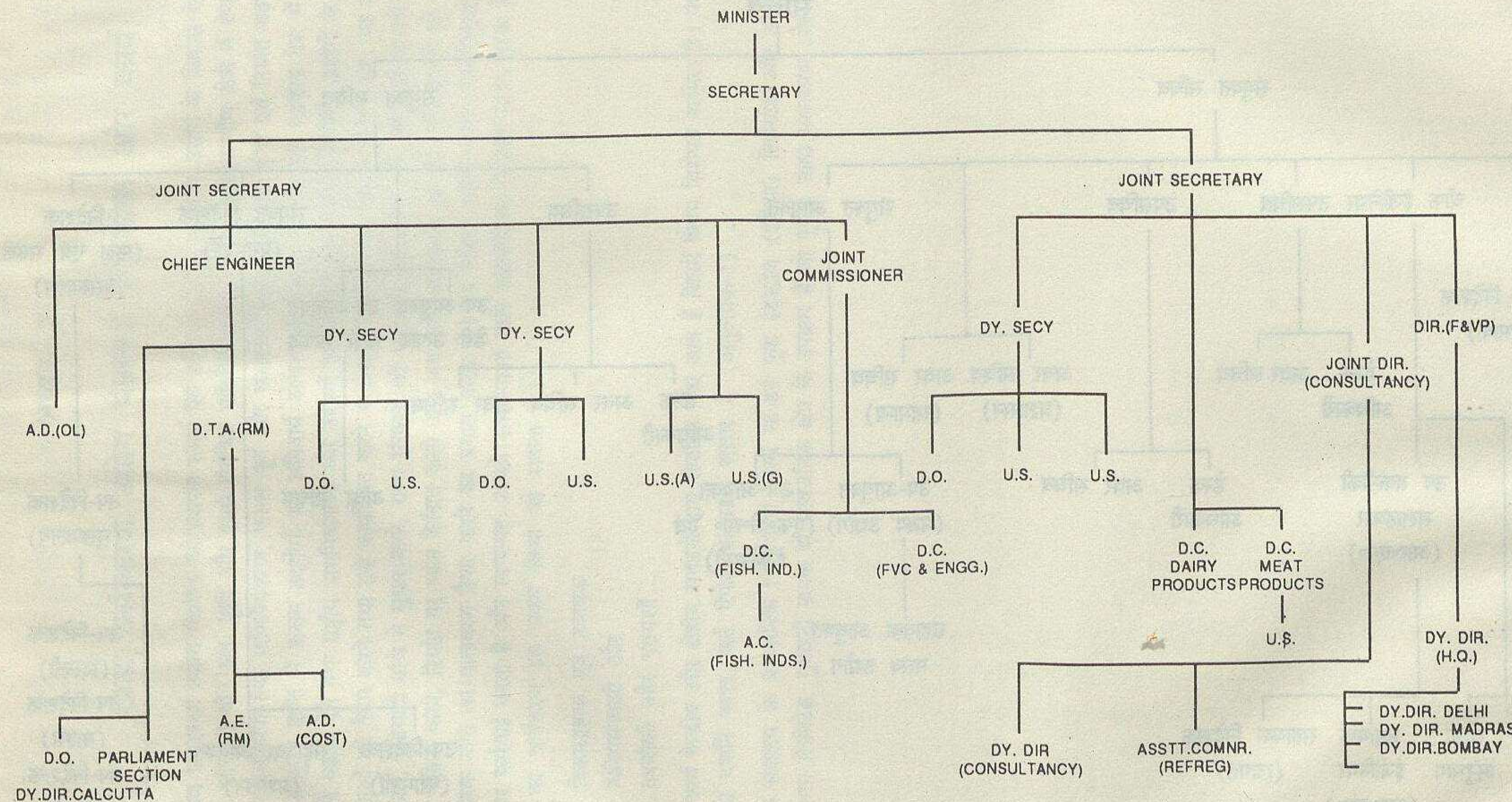

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries was created to act as focal point for developing a sound and vibrant food processing industry, as such industries with adequate backward linkage are identified to be an essential requirement for improving productivity in agriculture and allied activities, generation of employment in rural areas, diversification and commercialisation of agriculture, reduction of pre and post-harvest wastages and increasing export. This Ministry is a central agency of the Government for promotion of food processing industries in the country including formulation and implementation of policies and plan in respect of specified industries allotted to this Ministry within the national priorities and objectives. This Ministry, therefore, endeavours to create a conducive policy environment for healthy growth of this industry, improve infrastructure, seek involvement of State Governments, promote upgradation of technology and quality standards, help activating domestic market, focus on exports and rationalisation of taxes and duties whenever required. It processes applications for foreign collaborations and export oriented units and generally renders assistance to prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as:

(i) Developmental & Promotional

(ii) Regulatory, and

(iii) Technical and Advisory.

These functions are carried out through the central and field organisations which include subject specialists. A Chart showing the present organisation of the Ministry is annexed to Report (Annexure-I).

Two Public Sector Undertakings, namely, M/s Modern Food Industries (India) Ltd. and North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati, which are associated solely with the food processing and marketing, are under the administrative control of this Ministry.

अध्याय 3

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

देश में चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण 1970 में ब्रान और हस्क जैसे सह-उत्पादों की अच्छी क्वालिटी और चावल का अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से किया गया था। ब्रान और हस्क क्रमशः खाद्य तेल/औद्योगिक तेल निस्सारण के साधन हैं। यह प्रक्रिया चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंसिंग) नियमावली, 1958 में संशोधन करके आरंभ की गई थी। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेलर-एवं हलर और बहु-हलरों को लिया गया था। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में निहित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई, 1984 तक विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकरण से छूट दी गयी है। यह ढील अधिनियम और नियमों के अंतर्गत उल्लिखित कुछेक श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित किए गए नए सिंगल-हलर यूनिटों के लिए उपलब्ध नहीं थी। हलर मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने विषयक एक हलर सब्सिडो स्कीम छः राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। आधुनिकीकरण की गति को तेज करने के लिये केन्द्रीय सेक्टर की हलर सब्सिडी स्कीम उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में आरंभ की गई। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के जरिये आधुनिकीकरण की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं कठिनाइयां ध्यान में आती हैं उनकी जांच मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

सरकार द्वारा किये गये निरन्तर प्रयत्नों को देखते हुए आधुनिकीकरण/आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या 1970 में शून्य से 1992 में 32969 पहुंच गई है। तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत चावल ब्रान की मात्रा भी 1970-71 में 1.87 लाख टन से बढ़कर 1992-93 में 28.09 लाख टन हो गयी है।

अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण

कानूनी उपायों के अलावा, सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी सेंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र तंजावूर (तमिलनाडु) के जरिये अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियां प्रायोजित कर रही है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल, गुजरात के राज्यों में स्थापित दस क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के बिछे जाल के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

सहायता अनुदान

चावल मिलों के आधुनिकीकरण की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान दिये जा रहे हैं। ये अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिये जाते हैं। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके द्वारा शुरु की गई गतिविधियों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

WHEAT ATTA

CHAPTER III

FOODGRAIN MILLING INDUSTRIES

MODERNISATION OF RICE MILLS

The Modernisation of rice milling industry in the country was taken up in 1970 with a view to obtain the higher yields of rice and better quality of by-products such as bran and husk suitable for edible oil/industrial oil extraction and as a source of fuel respectively. The process was initiated by amending the Rice Milling Industry (Regulation) Act 1958 and Rice Milling Industry (Regulation & Licensing) Rules, 1959. In the initial phase of modernisation, shellers-cum-hullers and multiple hullers were brought under the purview of modernisation. However, keeping in view the various problems involved in the modernisation of single huller mills, the units existing on 27.7.1984 have been exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after the date, except to certain categories enumerated under the Act and the rules made thereunder. A huller subsidy scheme to encourage modernisation of huller mills is being implemented in six States, viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. In order to accelerate the pace of modernisation, a Central sector huller subsidy scheme was also initiated in the States of U.P., Orissa and Karnataka. The progress of modernisation of rice mills is being reviewed periodically through the reports received from the State Governments and wherever any constraints are being noticed, these are being looked into by the Ministry.

In view of the sustained efforts made by the Government, the number of modern/modernised rice mills has gone up from practically nil in 1970 to 32969 in 1993 (Table-1). Also, the quantity of rice bran processed for oil extraction has increased from 1.87 lakh tonnes in 1970-71 to 28.09 lakh tonnes in 1992-93.

R&D, EXTENSION & TRAINING

Apart from legislative measures, the Government has been sponsoring various research and development activities through its two research centres, namely, Post Harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (W. Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur (Tamil Nadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a network of ten Regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two centres), West Bengal and Gujarat.

GRANTS IN AID

Grants in aid are being provided to various institutions in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development, extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisations which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs.

चावल प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भण्डारण, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान-स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान विधायन अनुसंधान केन्द्र, थंजावुर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

(क) चावल मिलिंग के लिए नई तकनीकों का विकास

(ख) यार्ड ड्राइंग प्रणाली और उपकरणों का आधुनिकीकरण।

इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसायटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी। इसने थंजावुर में स्थित अपनी नई बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था और वहां यह अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए है।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र थंजावुर के लिए 40.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में थित पोट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि को चावल और अनाजों के प्रसंस्करण के संबंध में पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं सुलभ कराता है। यह केन्द्र पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी में एम.टेक., पी.एच.डी. और डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम और चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (स्काप) के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के लिये विशेष पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 11 विद्यार्थी एम.टेक., 15 पी.एच.डी. और 1 अनुसंधान एसोसिएट छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापन गतिविधियों के अलावा, यह केन्द्र चावल प्रसंस्करण सह-उत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है। वर्ष 1992-93 के दौरान (क) तटीय क्षेत्र में खाद्य फसलों के भण्डारण में सौर ऊर्जा सहायित प्राथमिकता सोखन प्रशीतन प्रणाली और (ख) फलों के भण्डारण और सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रित और परिष्कृत भण्डारण से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी चलाई गई हैं।

इस केन्द्र के लिए 40.00 लाख रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में अब तक कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं आदि के अधीन 9 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इश्तिहारों आदि के जरिए प्रचार के माध्यम से चावल मिलों के आधुनिकीकरण और सह-उत्पादों के बेहतर उपयोग विषयक कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय प्रारंभ के पांच वर्ष से 8 वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें, इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये नौ केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थापित किये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (एक केन्द्र), पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थापित केन्द्रों को अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिये 8 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिया। जे.एन.के.बी.बी. जबलपुर स्थित केन्द्र को उनके कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिये इस वित्तीय वर्ष के अन्त में सौंप दिया जायेगा।

1992-93 के दौरान इन केन्द्रों को 12.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के सात राज्यों में ''सिंगल हलरों के आधुनिकीकरण'' की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ताकि हलर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत हलर मालिकों को अपने-अपने यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के लिये प्रत्येक को 10,000 रुपये की राजसहायता दी जाती है। अब तक इन सात राज्यों में 843 हलरों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। आधुनिकीकृत यूनिटों की संख्या कम हो गई है क्योंकि प्रति लाभार्थी सब्सिडी में वृद्धि होने से लक्ष्य में कटौती की गई है। पुरानी स्कीम को पुनः

The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the following projects are being handled at the Centre:

(a) Development of new techniques for milling of rice;
(b) Modernisation of yard drying system and appliances.

The Centre was formed as a registered society in December, 1984 and was shifted to its new building at Thanjavur in December 1987 and is continuing its research and development work.

A grant of Rs.40.00 lakhs has been released to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur.

The Post Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, technicians, operators etc. in the post-harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D. and Post Doctoral courses in Post Harvest Technology, and short term courses in rice-milling. Special courses under the Colombo Plan and Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organised for foreign nationals. At present 11 M.Tech and 15 Ph.D. students and 1 Research Associate are undergoing courses at the Centre. Besides teaching activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing and by-product utilisation etc. During 1992-93, R&D projects relating to (a) solar assisted basic dessicant cooling system in storage of food crops in coastal region; and (b) controlled and modified storage for fruits and vegetables for enhancement of their shelf life, have also been undertaken.

A grant of Rs.40.00 lakhs has been sanctioned to the Centre

Ten Regional Extension Service Centres have been set up so far in different paddy growing States under the Agriculture Universities/Research Institutions etc. to propagate the advantages of rice mill modernisation and better by-product utilisation through seminars, demonstration programmes, short-duration training courses, technical guidance, publicity through films, leaflets etc. These Centres are financed by the Ministry for an initial period of five to eight years after which they are handed over to the host organisation. These ten centres have been set up in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two centres), West Bengal and Gujarat. The Centres at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two), West Bengal, Karnataka and Maharashtra have been handed over to the respective host organisations after the completion of the eight year period. For further continuance of their activities the Centres at OUAT, Bhubaneshwar, INKUV and Jabalpur will be handed over at the end of this financial year.

A grant of Rs.12.00 lakhs has been released to the Centres during 1992.

A scheme on "modernisation of single hullers" is being implemented in seven States, viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, W. Bengal and Karnateka to encourage huller modernisation. Under this scheme huller-owners will be provided a subsidy of Rs.10,000/- each for the modernisation of their units. So far 843 hullers have been modernised in these States. The target for modernised units has been reduced because of increase in the subsidy per beneficiary. In order to reinforce the efforts of the old scheme, a Central sector huller subsidy

लागू करने के लिये एक केन्द्रीय सेक्टर की हलर सब्सिडी स्कीम चलाई गई है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 10000 रुपये (आधुनिकीकरण की लागत का लगभग 50%) की राशि सब्सिडी/सहायता के रूप में दी जा रही है।

देश में बढ़िया किस्म की चावल मिलिंग मशीनरी और सहायक मशीनरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये देश के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में तीन परीक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये क्रमशः कोयम्बटूर, खड़गपुर, कानपुर और पुणे में अवस्थित हैं। ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल मशीनरी की जांच का कार्य करते हैं। मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देते हैं, विनिर्माताओं और मिल मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं।

1992-93 के दौरान इन केन्द्रों को 20.00 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

बासमती और बासमती टूटन के निर्यात के लिये कुल 3680 लाख रुपये के पूंजी निवेश वाली शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान चावल मिलिंग सेक्टर में तीन विद्यमान यूनिटों के परिवर्तन और तीन नये यूनिटों की स्थापना को मंजूरी दी गई है जिनसे लगभग 645 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

गेहूं रोलर आटा मिलिंग उद्योग

जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति आरंभ करने के बाद निम्नलिखित मामलों को छोड़कर नई रोलर आटा मिलों की स्थापना अथवा यूनिटों की विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

(क) प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थापित न की गई हो।

यह शर्त लागू नहीं होगी यदि मिलें 25 जुलाई, 1991 से पहले राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित की गई हों।

गेहूं उत्पादों को तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। गेहूं उत्पादों के मूल्य और विकास पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार गेहूं कहीं से भी प्राप्त करने की स्वतन्त्रता दी गयी है जिससे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे सरकार पर निर्भर न रहें। देश में प्रतिवर्ष लगभग 702 रोलर आटा मिलों द्वारा करीब 100 लाख टन गेहूं को विभिन्न गेहूं उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

दाल मिलिंग उद्योग

भारत में दाल मिलिंग उद्योग चावल और आटा मिलिंग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। ऐसी जानकारी है कि 140 लाख टन उत्पादित दालों के 75 प्रतिशत का प्रसंस्करण संपूर्ण देश में फैली लगभग दस हजार दाल मिलों द्वारा किया जाता है। इसके लिए दालों को विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। जैसे सफाई, फटकना, ग्रेडिंग, दलाई और छिलका उतारना। घर कुटीर या लघु स्तर पर दाल मिलिंग के लिये देश में विभिन्न पद्धतियां अपनायी जाती हैं।

उद्योग की समस्याओं और उसके भविष्य का पता लगाने तथा अधिकतम उत्पादन के लिए उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु तरीके सुझाने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से एक अध्ययन चलाया है।

scheme has been launched, and under this, a sum of Rs.10,000/- (app. 50% cost of modernisation) is being provided as subsidy/assistance to each beneficiary.

In order to encourage production of quality rice milling and allied machinery in the country, four testing centres have been set up in the southern, eastern, northern and western regions of the country. These are located at Coimbatore, Kharagpur, Kanpur and Pune respectively. These centres undertake testing of rice milling machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

A grant of Rs.20.00 lakhs has been sanctioned to the centres during 1992.

Conversion of three existing units and setting up of three new units in Rice Milling sector were approved during the year under 100% EOU scheme for export of Basmati & broken basmati rice with a total investment of Rs.3680 lakhs and providing employment to approx. 645 persons.

WHEAT ROLLER FLOUR MILLING INDUSTRY

After introduction of New Industrial Policy in July, 1991 licensing is abolished for setting up of new roller flour mills or for expansion in the existing capacity of the units except in the following cases:

a) The proposed project is not located within 25 kms of the periphery of the standard urban area limit of a city having a population of more than 10 lakhs according to 1991 census.

This condition will not apply provided the Mills are located within the areas designated as industrial areas by the State Government(s) before July 25, 1991.

No licence is required for manufacture of wheat products. There are also no controls on price and distribution of wheat products either. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source, thereby avoiding their dependence on Government for the supply of raw materials. Nearly 10 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 702 roller flour mills in the country every year (Table 2).

PULSE MILLING INDUSTRY

Pulse milling industry is a major milling industry in India, next only to rice and flour milling. It has been known that of the 14 million tonnes of pulses produced, 75% is processed in about 10,000 dal mills scattered all over the country. Pulses are passed through several stages of precleaning, dehusking, grading, aspirating, splitting and polishing. Various methods are practised in the country to mill pulses at home cottage or small scale level.

Ministry has sponsored a study through the National Productivity Council (NPC) to ascertain the problems and prospects of the industry and also suggest ways and means for the modernisation of the industry for maximum output.

आयातित दालों के प्रसंस्करण और दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों में इसके निर्यात के लिए 467 लाख रुपये के पूंजी निवेश के शतप्रतिशत निर्यातन्मुखी 3 यूनिटों को मंजूरी दी गयी। इन यूनिटों से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

तालिका—I

1-1-1992, को चावल मिलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर्स-सह-शेलर्स	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	305	14	1871	418	2608
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	898	1	3	222	1115
7.	जम्मू कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13413	2	13	2668	16096
10.	मणिपुर	71	—	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	6191	99	472	2516	9277
12.	मध्य प्रदेश	3114	239	227	994	3674
13.	मेघालय	85	—	8	—	93
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—		17
19.	तमिलनाडु	13292	144	1530	3262	18228
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9404	2	71	980	10457
23.	चण्डीगढ़	4	—	—	27	31
24.	दिल्ली	3	—	—	31	34
25.	पाण्डिचेरी	179	—	85	33	220
26.	अंडमान-निकोबार	116	—	—	—	116
27.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
28.	दादरा नागर हवेली	—	1	—	—	9
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	गोवा	675	—	5	37	717
31.	मिजोरम	—	—	—	—	—
		86315	4098	8300	32969	131682

Three cases of 100% EOU were approved for processing of imported pulses and its export to hard currency areas with an investment of Rs.467 lakhs. These units will provide employment to about 150 persons.

Table I: NUMBER OF RICE MILLS AS ON 1.1.1993

S.No.	State/UT	Hullers	Shellers	Hullers cum Shellers	Modern/ Modernised Rice Mills	Total
1.	Andhra Pradesh	4609	1776	2364	12995	21744
2.	Assam	305	14	1871	418	2608
3.	Bihar	4749	63	9	51	4872
4.	Gujarat	1890	159	67	1045	3161
5.	Haryana	807	-	-	990	1797
6.	Himachal Pradesh	890	1	3	222	1115
7.	Jammu & Kashmir	-	-	-	-	-
8.	Karnataka	9131	462	1103	3674	14370
9.	Kerala	13413	2	13	2668	16096
10.	Manipur	71	-	97	1	169
11.	Maharashtra	6191	99	472	2515	9277
12.	Madhya Pradesh	3114	239	227	94	3674
13.	Meghalaya	85	-	8	-	93
14.	Nagaland	-	-	-	-	-
15.	Orissa	6398	125	289	552	7364
16.	Punjab	4416	442	-	1965	6823
17.	Rajasthan	152	2	6	193	353
18.	Sikkim	17	-	-	-	17
19.	Tamil Nadu	13292	144	1530	3262	18228
20.	Tripura	689	5	8	1	703
21.	Uttar Pradesh	5707	562	150	1215	7634
22.	West Bengal	9404	2	71	980	10457
23.	Chandigarh	4	-	-	27	31
24.	Delhi	3	-	-	31	34
25.	Pondicherry	179	-	8	33	220
26.	Andaman & Nicobar	116	-	-	-	116
27.	Arunachal Pradesh	-	-	-	-	-
28.	Dadra & Nagar Haveli	8	1	-	-	9
29.	Lakshadweep	-	-	-	-	-
30.	Goa	675	-	5	37	717
31.	Mizoram	-	-	-	-	-
		86315	**4098**	**8300**	**32969**	**131682**

तालिका—II

1-1-93 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या।

क्र० सं०	राज्य का नाम	1992
1	आन्ध्र प्रदेश	58
2.	असम	40
3.	बिहार	58
4.	चण्डीगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	30
8.	हरियाणा	33
9.	हिमाचल प्रदेश	13
10.	जम्मू और कश्मीर	18
11.	कर्नाटक	54
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	20
14.	महाराष्ट्र	54
15.	नागालैण्ड	4
16.	उड़ीसा	18
17.	पांडिचेरी	3
18.	पंजाब	28
19.	राजस्थान	10
20.	सिक्किम	3
21.	तमिलनाडु	57
22.	त्रिपुरा	2
23.	उत्तर प्रदेश	98
24.	पश्चिम बंगाल	46
25.	मणिपुर	1
26.	मेघालय	2
	योग	702

Table 2 : NUMBER OF ROLLER FLOUR MILLS IN THE COUNTRY AS ON 1.1.1993

Sl.	Name of State	1992
1.	Andhra Pradesh	58
2.	Assam	40
3.	Bihar	58
4.	Chandigarh	5
5.	Delhi	18
6.	Goa	2
7.	Gujarat	30
8.	Haryana	33
9.	Himachal Pradesh	13
10.	Jammu & Kashmir	18
11.	Karnataka	54
12.	Kerala	27
13.	Madhya Pradesh	20
14	Maharashtra	54
15.	Nagaland	4
16.	Orissa	18
17.	Pondicherry	3
18.	Punjab	28
19.	Rajasthan	10
20.	Sikkim	3
21.	Tamil Nadu	57
22.	Tripura	2
23.	Uttar Pradesh	98
24.	West Bengal	46
25.	Manipur	1
26	Meghalya	2

अध्याय 4

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अन्तर्गत मुख्यतया, पस्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद और बिस्कुट, बियर, शराब तथा पेय अल्कोहल, मृदु पेय इत्यादि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं। इसके अलावा इस प्रभाग द्वारा स्टार्च, ग्लूकोज इत्यादि जैसे उत्पादों को भी देखा जा रहा है क्योंकि खाद्य उत्पादों के लिए इनकी भी आवश्यकता होती है। उच्च पोषक तत्व वाले सोयाबीन के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उपभोक्ता उद्योग प्रभाग इस पहलू को भी देखता है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने बियर, पेय अल्कोहल और शराब को छोड़कर लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और लघु उद्योग सेक्टर, दुग्ध उत्पादों तथा माल्टयुक्त खाद्यों के उत्पादों हेतु पूर्णतः आरक्षित उद्योगों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सभी सेक्टरों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान कर दी है।

खाने के लिए तैयार खाद्य, सोया उत्पाद, कोको उत्पाद, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य, मृदु पेय इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग हैं।

खाने के लिए तैयार एक्सट्रूडिड खाद्य

नूडल्स, मैकरोनी, सेवई इत्यादि जैसे पस्ता उत्पाद तैयार करने के लिए संगठित क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता 33400 टन है। इसके अलावा कार्न फलेक्स, ओट फलेक्स और पर्ल बारले के लिए 10 यूनिट हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 9,340 टन है। गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन इस प्रकार हैः—

1990-91	13,200 टन
1991-92	14,500 टन
1992-93	15,200 टन (अनुमानित)

सोयाबीन उत्पाद

अधिक प्रोटीन वाले सोया आधारित उत्पादों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार सोया आधारित उत्पाद तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सोया आधारित उत्पादों को दिनांक 25-7-1991 की अधिसूचना संख्या 477 ई के अनुलग्नक-3 में रखा गया है और यह उद्योग 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले विदेशी सहयोग के स्वतः अनुमोदन की पात्रता रखते हैं। संगठित क्षेत्र में 4 यूनिट पहले ही विभिन्न सोया उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी स्थापित क्षमता 4,00,000 टन है। कुछ और यूनिटों के लिए प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किए गये हैं जिनका उत्पादन निकट भविष्य में आरंभ होने की संभावना है।

कोको उत्पाद

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर अनुकल्प और कोको पर आधारित दुग्ध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण के लिए 19 यूनिट कार्यरत हैं जिनका चालू वर्ष में उत्पादन लगभग 40,000 टन है। रिपोर्टाधीन वर्ष में 14,000 टन क्षमता वाले एक और यूनिट ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। इन उत्पादों की वृद्धि बहुत से अन्य उत्पादों की वृद्धि के अनुरूप नहीं रही। गत चार वर्षों का उत्पादन इस प्रकार हैः—

SWEETENED

CHAPTER IV

CONSUMER FOOD INDUSTRIES

The consumer food industry mainly consists of ready-to-eat products or ready-to-cook products such as pasta products, coco-based products, bakery products and biscuits, beer, wines and potable alcohols, soft drinks, etc. Besides products like starch, glucose etc. which are also required for food products are also being looked after in this division. The soyabean products which have a highly nutritional value are also being promoted and Consumer Products Division looks into this aspect also. It may be mentioned that Government have delicensed almost all food processing industries except for beer, potable alcohol and wines and automatic approval for foreign investment upto 51% have been introduced practically in all sectors of food processing industries except for those which are reserved exclusively for products in small scale sector, milk products and malted foods.

Some of the important processed food industries are ready-to-eat foods, soya products, coco products, high protein foods, soft drinks, etc.

Ready-to-eat extruded foods

In the organised sector, the total installed capacity is 33,400 tonnes for manufacture of pasta products like noodles, macaroni, vermicelli, etc. Besides, there are 10 units with annual capacity of 9,340 tonnes for corn flakes, oat flakes, and pearl barley. The production during the last three years is as under:

1990-91	13,200 tonnes
1991-92	14,500 tonnes
1992-93	15,200 tonnes (Estimated)

Soyabean products

Considering the importance of protein rich soya based products, the Government is trying to promote manufacture of soya based products. Soya based products have been placed in the Annexure III to the Notification No. 477 E, dated 25.7.1991 and the industry is eligible for automatic approval for foreign collaboration involving foreign equity participation upto 51%. There are four units in the organised sector already manufacturing various soya products with an installed capacity of 4,00,000 tonnes. Proposals for some more units have been approved recently which are likely to come up in the near future.

Cocoa products

There are 19 units engaged in the manufacture of cocoa products like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitute and cocoa based malted milk foods with a production of approximately 40,000 tonnes in the current year. One more unit with annual capacity of 14,000 tonnes came into production in this year under report. The growth of these products has not been commensurate with many other food products. The production for the last four years is as under:

1989-90	40,000 मी॰ टन
1990-91	39,383 मी॰ टन
1991-92	40,600 मी॰ टन
1992-93	40,700 मी॰ टन (अनुमानित)

उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य

संगठित क्षेत्र में 9 यूनिट हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 13,610 मी॰ टन है। गत चार वर्षों के दौरान उत्पादन इस प्रकार रहा—

1989-90	8,900 मी॰ टन
1990-91	9,356 मी॰ टन
1991-92	10,100 मी॰ टन
1992-93	11,000 मी॰ टन (अनुमानित)

मृदु पेय

मृदु वातित पेय तैयार करने के लिए फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत लाइसेंस दिये गये 641 यूनिट हैं। इनमें से 95 यूनिट बड़े बाटलिंग यूनिट हैं। मृदु वातित पेय यूनिटों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 4,800 मिलियन बोतल (200 मि॰ली॰ की एक बोतल) है। वर्ष 1992-93 के दौरान मृदु वातित पेयों का उत्पादन लगभग 2,800 मिलियन बोतल होने की आशा है।

अन्य प्रसंस्कृत खाद्य

रिपोर्टाधीन वर्ष में ग्वारगम तैयार करने के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोंन्मुखी 10 यूनिट और प्राकृतिक गम के एक यूनिट को मंजूरी दी गई। इसी प्रकार एक्सटूडिड स्न्कैस, प्रसंस्कृत खाद्यों, आलू चिप्स आंदि का निर्यात करने के लिए दो यूनिटों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा खनिज जल तैयार करने के लिए तीन यूनिट, चाकलेट और च्यूइंग गम के लिए दो यूनिट, कुछ कन्फैक्शनरी के लिए एक यूनिट और विशिष्ट सोयाबीन उपादों के लिए विदेशी/अनिवासी भारतीय इक्विटी निवेश वाला एक यूनिट मंजूर किया गया है। विदेशी प्रौद्योगिकी के साथ माल्टोडेक्सट्रीन तैयार करने के लिए एक बड़े यूनिट का भी अनुमोदन किया गया है।

गैर-सिरका संसाधनों से पेय अल्कोहल:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने गैर सिरका संसाधनों से पेय अल्कोहल तैयार करने की नीति कार्यान्वित की। गैर-सिरका संसाधनों से पेय अल्कोहल तैयार करने के लिये मार्च, 1988 तक प्राप्त बहुत बड़ी संख्या में आवेदनों पर कार्रवाई की गई। सरकार ने गैर-सिरका वाले कच्चे माल से पेय अल्कोहल तैयार करने के लिये 52 यूनिटों को आशय-पत्र जारी कर दिये हैं। कुल अनुमोदित क्षमता प्रतिवर्ष करीब 2.5 लाख किलो लीटर है।

गैर-अल्कोहालिक बीयर सहित बीयर

इस समय बीयर का उत्पादन करने वाले यूनिटों की संख्या 32 है और इसका अनुमानित उत्पादन 2.3 लाख किलोलीटर है। सरकार ने गत डेढ़ वर्षों में 88 आशयपत्र मंजूर किये हैं इससे 4.5 लाख किलोलीटर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। इसके अलावा गत डेढ़ वर्षों में 4 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों को मंजूरी दी गई है जिनकी कुल क्षमता करीब 50,000 किलोलीटर है।

1989-90	40,000 MT
1990-91	39,383 MT
1991-92	40,600 MT
1992-93	40,700 (Estimated)

High Protein Foods

In the organised sector, there are 9 units with total annual capacity of 13,610 MT. The production during the last four years is as under:

1989-90	8,900 MT
1990-91	9,356 MT
1991-92	10,100 MT
1992-93	11,000 (Estimated)

Soft Drinks

There are 641 units licensed under the Fruit Products Order for manufacture of Swetened Aerated Water (SAW). Of these, 95 unis are large bottling units. The total annual capacity of SAW units is about 4,800 million bottles (of 200 ml.) Productioon of SAW during the year 1992-93 is expected to touch about 2,800 million bottles.

Other Processed Food

In the year under report, 10 units of 100% Export-Oriented Units for manufacture of Guargum and one unit for natural gum were approved. Similarly, two units for export of extruded snacks, processed foods, potato chips, etc., have also been approved with a view to export all these products. In addition, three units for the manufacture of mineral water, two units for chocolates and chewing gums, one unit for certain confectioneries and one unit for specialised soyabean products with foreign/NRI equity investment have been approved. One large unit for manufacture of maltodextrime with foreign technology has also been approved.

Potable Alcohol from non-molasses base

During the year under report, the Government implemented the policy of manufacture of potable alcohol from non-molasses resources. A large number of applications for manufacture of potable alcohol from non-molasses resources that were received since 1988 were processed. The Government have issued Letters of Intent to 52 units for creation of fresh capacity of potable alcohol from non-molasses raw materials. The total capacity approved is approximately 2.5 lakh kilo litres per annum.

Beer including non-alcoholic beer

There are 32 units producing Beer at present and estimated output is 2.3 lakh kilo litres. Govt. have granted 88 letters of intent in the last $1\frac{1}{2}$ years, an additional capacity of about 4.5 lakh kilo litres. In additon, 4 No. of 100% E.O.U.'s have also been approved in last $1\frac{1}{2}$ years with a total capacity of about 50,000 Kls.

अध्याय 5

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

भारत, उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले कई किस्म के फल एवं सब्जियों का उत्पादन करता है। उपलब्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण और उनके प्रभावी उपयोग में प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रसंस्करण, ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी साधन है। भारत में अनुकूल जलवायु स्थितियां और फल तथा सब्जियों को उगाने के लिए अत्यधिक क्षमता है लेकिन फल, तथा सब्जियों के कुल उत्पादन के करीब। प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जाता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्योग के सामने अनेक समास्याएं आ रही हैं जैसे उत्पादन की उच्च लागत, प्रसंस्करण की उच्च लागत, पैकेजिंग और ढुलाई की उच्च लागत। नई औद्योगिक नीति में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों की सूची में रखा गया है और इस सेक्टर में निवेश के लिये विविध प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

संस्थापित क्षमता और उपयोग

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की कुल संस्थापित क्षमता में काफी वृद्धि होती जा रही है और दिसम्बर 1992 के अन्त तक इसके 11.08 लाख मी० टन होने का अनुमान है जबकि दिसम्बर, 1991 के अन्त तक की क्षमता 9.50 लाख मी० टन थी। संगठित क्षेत्र में प्रसंस्कृत फल और सब्जियों का उत्पादन 4.69 लाख टन था। मुख्य प्रसंस्कृत पदार्थ, फल रस और फलों का गूदा, फलों पर आधारित तैयार पेय, डिब्बाबंद फल और सब्जियां, जैम, शरबत, अचार, चटनियां और निर्जलीकृत सब्जियां हैं। हाल ही में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में फ्रोजन सब्जियों और फलों के गूदे, फ्रिज पर सुखाई गई फल और सब्जियां, आकुंचनशील थैलियों में फल रस सांद्रण और सब्जी की तरी, डिब्बाबंद खुम्बी और खुम्बी उत्पादों को भी तैयार किया जाने लगा है।

अप्रैल, 1992 से फरवरी, 1993 की अवधि के दौरान फल एवं सब्जी उत्पादों का करीब 150 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जबकि 1991-92 की इसी अवधि के दौरान 82.38 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था। निर्यात किये गये मुख्य पदार्थ फल रस, फल गूदा, जैम, अचार, चटनी, डिब्बाबंद मशरुम, डिब्बाबंद फल और सब्जियां, गूदा और रस सांद्रण, निर्जलीकृत सब्जियां, फ्रोजन फल और सब्जियां, आदि हैं। 1992-93 में 200 करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान है।

विनियमन और नियंत्रण

मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गये फल उत्पाद आदेश 1955 का संचालन करता है। इस आदेश में फ़ल और सब्जियों के उत्पादों के अधीन और उत्पादन और विपणन के बारे में गुण नियंत्रण के लिए उत्पाद विनिर्देशनों और दूसरी अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है। इस आदेश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लेबल लगाने और विपणन संबंधी अपेक्षाओं को भी निर्धारित किया गया है। सभी प्रसंस्करण यूनिटों को एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जिसे परिसर का निरीक्षण करने के बाद स्वीकृत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह परिसर फल उत्पाद आदेश के उपबन्धों के अनुरुप है। मंत्रालय के तकनीकी स्टाफ द्वारा समय-समय पर फैक्टरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चत करने के लिए किया जाता है कि गुणवत्ता संबंधी विनिर्देशनों और सफाई तथा स्वच्छता की दशाओं के बनाए रखने के अनुपालन की ओर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं।

निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार क्वालिटी की जांच करने के लिए फल एवं सब्जी उत्पादों के नमूने फैक्टरियों से लिये जाते हैं। वर्ष के दौरान 4186 निरीक्षण किये गये और 3342 नमूने लिये गये और उनका विश्लेषण किया गया।

फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा यूनिटों की संख्या 31.12.91 के 3925 से बढ़कर 31.12.92 को 4057 हो गई है। यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा तालिका-3 में दिया गया है।

Chapter V

Fruit and Vegetable Processing Industries

India grows a variety of temperate to tropical fruits & vegetables. Processing plays an important role in the conservation and effective utilisation of fruits and vegetables. The processing also helps in generating rural employment; besides, processed fruits and vegetables are a source of earning foreign exchange. India has favourable climatic conditions and a vast potential for growing fruits and vegetables. However, about one per cent of the total production of fruits and vegetables is processed at present. This is because of a number of problems faced by the industry such as high cost of production, high cost of processing, high cost of packaging and transportation. The new industrial policy has however placed the processed fruits and vegetables in the list of high priority areas and various incentives have been provided for investment in this sector.

Installed capacity and utilisation

The total installed capacity of fruits & vegetable processing industries has been increasing steadily and is estimated to be 11.08 lakh tons at the end of December, '92 as compared to 9.50 lakh tons at the end of December, '91. Production of processed fruits & vegetable products in the organised sector was 4.69 lakh tons.

The prominent processed items are fruit pulps and juices, fruit based ready-to-serve beverages, canned fruits and vegetables, jams, squashes, pickles, chutneys and dehydrated vegetables. More recently, products like frozen pulps and vegetables, frozen dried fruits and vegetables, fruit juice concentrates and vegetable currys in retortable pouches, canned mushroom and mushroom products have been taken up for manufacture by the fruits and vegetables processing industries.

The exports during the period from April '92 to Feb. '93 are estimated at Rs.150 crores as compared to Rs.82.38 crores during the corresponding period of 1991-92. The main items of exports were fruit juices, pulps, jams, pickles, chutneys, canned mushroom, concentrated pulp and juices, dehydrated vegetables, frozen fruits and vegetables and canned fruits & vegetables. The export projectives for the year 1992-93 is Rs.200 crores.

Regulation and Control

The Ministry administers the Fruit Products Order, 1955 (FPO), issued under the Essential Commodities Act. The order lays down products specifications and other requirements for quality control on production and marketing of processed fruits and vegetables. Labelling and marketing requirements to protect the consumer interest have also been prescribed under the order. All processing units are required to obtain a licence which is granted after ascertaining that the process conforms to the hygienic conditions specified under FPO. Periodical inspections of the units are carried out by the technical staff in order to ensure that the quality specifications and hygienic conditions are maintained. Random samples of processed fruits and vegetables are drawn from the factory to exercise check on quality as per the specifications laid down. During the year 4186 Nos. of inspections were carried and 3342 Nos. of samples drawn & analysed.

The total number of licensed units under FPO have increased from 3925 as on 31.12.91 to 4057 as on 31.12.92. The statewise distribution of the units are at Table 3.

सारणी III

फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा

1-1-93 की स्थिति के अनुसार

क्र० सं०	राज्य का नाम	फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट	मृदुवातित पेय	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	175	72	247
2.	असम	20	2	22
3.	बिहार	40	12	52
4.	गुजरात	165	55	220
5.	हरियाणा	164	26	140
6.	हिमाचल प्रदेश	78	1	79
7.	जम्मू और कश्मीर	73	6	79
8.	कर्नाटक	178	47	225
9.	केरल	291	30	321
10.	मध्य प्रदेश	66	26	92
11.	महाराष्ट्र	713	87	800
12.	मणिपुर	10	1	11
13.	मेघालय	6	1	7
14.	नागालैण्ड	4	0	4
15	उड़ीसा	18	3	21
16.	पंजाब	159	13	172
17.	राजस्थान	62	25	87
18.	सिक्किम	2	0	2
19.	तमिलनाडु	336	43	379
20.	त्रिपुरा	3	0	3
21.	उत्तर प्रदेश	364	46	410
22.	पश्चिम बंगाल	237	20	257
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	1
24.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	2
25.	चंडीगढ़	21	7	28
26.	दादरा और नगर हवेली	4	2	6
27.	दिल्ली	218	24	242
28.	गोवा, दमन और द्वीप	46	90	136
29.	मिजोरम	2	0	2
30.	पांडिचेरी	8	2	10
	योग:	3416	641	4057

Table 3
STATEWISE BREAK-UP OF LICENCES UNDER FPRO AS ON 1-1-93

S.NO.	NAME OF THE STATE	NUMBER F&VP	SAW	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	175	72	247
2.	Assam	20	2	22
3.	Bihar	40	12	52
4.	Gujarat	165	55	220
5.	Haryana	164	26	140
6.	Himachal Pradesh	78	1	79
7.	Jammu & Kashmir	73	6	79
8.	Karnataka	178	47	225
9.	Kerala	291	30	321
10.	Madhya Pradesh	66	26	92
11.	Maharashtra	713	87	800
12.	Manipur	10	1	11
13.	Manipur	6	1	7
14.	Nagaland	4	0	4
15.	Orissa	18	3	21
16.	Punjab	159	13	172
17.	Rajasthan	62	25	87
18.	Sikkim	2	0	2
19.	Tamilnadu	336	43	379
20.	Tripura	3	0	3
21.	Uttar Pradesh	364	46	410
22.	West Bengal	237	20	257
23.	Andaman & Nicobar Island	1	0	1
24.	Arunachal Pradesh	2	0	2
25.	Chandigarh	21	7	28
26.	Dadra & Nagar Haveli	4	2	6
27.	Delhi	218	24	242
28.	Goa, Daman & Diu	46	90	136
29.	Mizoram	2	-	2
30.	Pondicherry	8	2	10
	TOTAL	3416	641	4057

जिन फल उत्पादों का निर्यात करना होता है उनका जहाज में लदान करने से पहले निरीक्षण किया जाता है और प्रयोजन के लिए विश्लेषण हेतु नमूना लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उत्पाद फल उत्पाद आदेश/क्रेता विनिर्देशनों के अनुरुप है। निर्यात के लिए अभिप्रेत कुछ उत्पादों के उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाता है। विनिर्देशनों के अनुरुप दिए गए नमूनों के लिए निर्यातकर्ताओं को गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। निर्यात के संवर्धन में महत्वपूर्ण विकास करने के लिये सरकार ने मान्यताप्राप्त निर्यात घरों और स्टार ट्रेडिंग हाउसिज को जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण करने की शर्त के बिना माल का निर्यात करने की अनुमति दे दी है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि निर्यातकों पर उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की गुणवतता सुनिश्चित करने की जिममेदारी सौंपी गई है। हमारे देश में मुख्यतया आम का गूदा, सांद्रण, अन्य फलों का गूदा, अचार, चटनी, निर्जलीकृत सब्जियां और डिब्बाबंद फल एवं सब्जियों का निर्यात किया जाता है।

प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के लिए मानक तैयार करने के लिए यह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए रखा गया है। यह मंत्रालय केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की प्रयोगशालाओं के अलावा खाद्य विभाग की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाओं का उपयोग कर रहा है।

मंत्रालय का परामर्शदात्री एकक है जो फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सेवायें प्रदान करता है। यह एकक तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से कच्चे माल की वसूली, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, विपणन ब्यौरे, फैक्टरी का नक्शा, भवन और मशीनरी तथा आर्थिक व्यवहार्यता जैसे परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर परामर्शी सेवाएं देता है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट

यद्यपि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है परन्तु लाइसेंसमुक्त मानदण्डों के अंतर्गत न आने वाले 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के प्रस्ताव और दूसरे प्रस्तावों के लिये इस मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकारी स्वीकृति लेना आवश्यक है। अप्रैल, 92 से फरवरी, 93 की अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के ऐसे प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। पहले अनुमोदित 6 निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। अधिकांश प्रस्तावों में विदेशी इक्विटी भागीदारी निहीत है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर को दी गई योजना सहायता

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को प्रभावित करने वाली बड़ी अड़चनों को दूर करने और इसके विकास को आवश्यक गति देने के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर में अनेक योजना स्कीमें हैं। इनके अंतर्गत उद्यमियों के प्रशिक्षण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, ठेके पर खेती के माध्यम से पिछड़े संपर्कों को विकसित करने, शीत-भण्डारण, खुम्बी आदि के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास, विज्ञापनों के माध्यम से बाजार संवर्धन, एफ पी ओ चिन्ह का प्रचार, सामान्य ब्राण्ड नामों के अंतर्गत छोटे निर्माताओं के उत्पादों का विपणन, क्वालिटी नियंत्रण, प्रयोगशालाओं की स्थापना और पैकेजिंग सहित नई तकनीकों और पद्धतियों का पता करने के लिये अनुसंधान एवं विकास की स्कीमें शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की स्कीम के अंतर्गत सहकारिताओं, स्वायत्त शासी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों और दूसरी सरकारी एजेंसियों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिये एक लाख रु० और संयंत्र एवं मशीनरी के लिये 2 लाख रु० तक की सहायता प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम को ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिये पहले ही सहायता प्रदान कर दी गई है।

The consignment of fruit products intended for exports are subjected to pre-shipment inspection wherein samples are drawn for analysis to ensure conformity to the FPO/buyers specifications. Continuous inspection is also carried out for some products meant for exports to ensure quality according to specifications. Quality certificates are issued to exporters in case samples are found to be conforming to the specifications. As a significant step towards export promotion, Government has allowed the recognised Export House and Star Trading Houses to export consignments without subjecting to preshipment inspection. The impact of this is expected to be positive because the exporters have been given the responsibility of ensuring the quality of the processed fruits and vegetables exported by them. The main items of exports from our country are mango pulp concentrates, other fruit pulps, pickles, chutneys, dehydrated vegetables and canned fruit and vegetables.

The Ministry keeps a close liaison with the Ministry of Health for formulation of standards for the processed fruit and vegetables. A close liaison is maintained with the Bureau of Indian Standards, Central Food Technology Research Institute (CFTRI) as with the Export Inspection Council. The Ministry utilises the food analysis laboratories of the Ministry of Food, besides the laboratories of CFTRI.

Ministry of Food Processing Industry has a Consultancy Cell which offers professional services for the preparation and appraisal of Techno-economic feasibility reports for setting up the Fruit and Vegetable processing units. The cell through their technical experts provide consultancy services on various different aspects of the project such as raw material, procurement, processing technology, marketing details layout and design of the factory, details of machinery, economic viability and the structural aspects of building etc.

100% export oriented units

While no industrial licence is required for setting up of fruits & vegetables processing industries, proposals for setting up of 100% EOUs and other such proposals which do not fall within the parameter of delicensing continue to require the approval of the Government based on the recommendations of this Ministry. During the period from April '92 to Feb. '93, 25 such proposals for setting up of 100% EOUs have been approved by the Government. Six EOUs approved earlier have come into production. Most of the proposals involve foreign equity participation.

Plan assistance provided to the Fruits & Vegetables Processing Sector

In order to remove some of the major constraints affecting the fruit & vegetable processing industries and to provide the necessary impetus to its growth, Ministry of Food Processing Industries have several plan schemes in the fruit & vegetable processing sector. These includes schemes for training of entrepreneurs, setting up of F&VP units, development of backward linkages through contract farming, development of infrastructure such as cold storages, infrastructure for mushrooms etc., market promotion through advertisement, promotion of FPO symbol and marketing of small manufacturers products under common brand name, setting up of quality control labs and R&D in identifying new techniques and practices including those for packaging.

Under the scheme for setting up of food processing and training centres in rural areas, assistance is provided upto Rs.2 lakhs for plant and machinery and Rs.1 lakh for commercial production to Cooperatives, Autonomous bodies, voluntary organisations and other Government agencies. Assistance has been provided for setting up of such centres in West Bengal, Haryana, U.P., Himachal Pradesh, Bihar and Mizoram in the year under report.

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की स्कीम के अंतर्गत ऐसी प्रसंस्करण सुविधाओं, की स्थापना, फसलोत्तर भण्डारण सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक ऐजेंसियों, स्वायत्तशासी निकायों, सहायित/प्राइवेट सेक्टर और संयुक्त सेक्टर को इक्विटी या अनुदान के रूप में कुछ धनराशि सहायता स्वरूप दी जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष में विभिन्न राज्यों/संगठनों से सहायता के लिये प्राप्त 20 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये यह मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा ठेके पर खेती को प्रोत्साहन देता है। पिछड़े संपर्कों को सुदृढ़ करने की स्कीम के अंतर्गत कम से कम 25 किसानों के साथ ठेके के लिये खरीद मूल्य के 5% तक की सहायता दी जाती है परन्तु यह धनराशि प्रति यूनिट 10 लाख से अधिक नहीं होगी। रिपोर्टाधीन वर्ष में ऐसे दो प्रस्तावों पर विचार किया गया।

खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण से घरेलू और निर्यात बाजारों में उसकी बिक्री की अच्छी संभावनाएं हैं। खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण की बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं के विकास की एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत स्पॉन प्रयोगशालाओं की स्थापना, कम्पोस्ट पास्चराइजेशन और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त 4 प्रस्तावों के लिये सहायता दी गई है।

बीयर तैयार करने के लिये हॉप्स एक अनिवार्य कच्चा माल है। बीयर उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से आने वाले वर्षों में हॉप्स के लिये काफी मांग होने की संभावना है। इस समय हॉप्स की आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है। विदेशी मुद्रा की बचत के लिये एक स्कीम के अंतर्गत हॉप्स का विकास और प्रसंस्करण किया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों में हॉप्स के विकास के लिये सहायता प्रदान करने हेतु सहायता दी जा रही है। वर्ष 1992 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसी सुविधाओं के विकास के लिये 40 लाख रु० की धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी गई है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के संबंध में उनकी सफाई एवं सुविधा के बारे में उपभोक्ताओं में जागृति बढ़ाने के लिये यह मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्यों के व्यापक प्रचार और एफ पी ओ चिन्ह के महत्व की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। प० बंगाल के एक ऐसे यूनिट को सहायता दी गई है जो अपने प्रचलित ब्राण्ड नामों के अधीन छोटे उत्पादकों के उत्पादों की बिक्री कराता हैं। यह मंत्रालय क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये भी सहायता देता है।

Under the scheme for setting up of F&VP units, assistance is provided upto a certain amount in the form of equity or grant to State Govt. organisations, cooperatives, voluntary agencies, autonomous bodies, assisted/private sector and joint sector for setting up/upgrading such processing facilities as well as development of infrastructure including post-harvest storage etc. 8 such proposals seeking assistance received from different States/organisations have been approved in the year under report.

In order to ensure regular supply of raw materials to the processing industries, this Ministry seeks to encourage contract farming by the processing industries. Under the scheme for strengthening of backward linkages, assistance is provided for contracts with at least 25 farmers upto 5% of purchase price subject to a ceiling of Rs.10 lakhs per unit. Such proposals were considered in the year under report.

Growing and processing of mushrooms offer a potential both for domestic and export markets. In order to remove major constraints in processing and cultivation of mushrooms, this Ministry is implementing a scheme for development of infrastructure for which assistance is provided for setting up of spawn laboratories, compost pasteurisation and processing facilities for mushrooms. Assistance has been provided for 4 no. of proposals received from different States.

Hops is an essential raw material required for the manufacture of beer. With the increase in production capacity in the beer industry a considerable demand for hops is likely to be generated in the coming years. At present the domestic requirement of hops is met by imports. In order to save foreign exchange, development and processing of hops is being taken up under a scheme formulated for providing assistance for developing hops in hilly regions of UP, HP and J&K etc. During 1992 a sum of Rs.40 lakhs has been released for developing such facilities in the State of Himachal Pradesh.

In order to encourage consumer awareness about the hygiene and convenience of processed food this Ministry is implementing a scheme of generic advertisement of processed food and the importance of FPO symbol. Assistance has been provided to one in West Bengal which undertakes marketing of products of small manufacturers under their common brand name. This Ministry also assists setting up of quality control laboratories.

अध्याय 6

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद

भारत विश्व के सबसे अधिक पशुधन वाले देशों में से एक है। विश्व की 50% भैसें और 20% गायें भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में पशुधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा दुधारू पशु अर्थात् गायें और भैसें हैं। हमारे देश में डेरी विकास को आधुनिक भारत के सर्वाधिक सफल विकास कार्यक्रम के रूप में विश्व में मान्यता दी गई है।

भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरीका के बाद विश्व में दूध का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में दूध की बहुलता वाले राज्य उत्तर-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजसथान, गुजरात, महारापटर, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इन दुग्ध बहुल राज्यों में दुग्ध उत्पादों को सबसे अधिक तैयार किया जाता है। प्रतिवर्प दूध का उत्पादन 560 लाख टन होने का अनुमान है।

देश में कुल दूध उत्पादन का लगभग 30% दुग्ध उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें से अकेला घी 85% है। ऐसा अनुमान है कि दुग्ध पाउडर और शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन 1991 में 1,50,000 टन से बढ़कर वर्ष 1992 में 1,65,000 टन हो गया है। इसी प्रकार माल्टयुक्त खाद्य, पनीर, संघनित दूध सहित माल्टयुक्त दुग्ध आहारों का उत्पादन वर्ष 1991 के दौरान क्रमशः 4100 टन, 2500 टन और 8100 टन से बढ़ कर वर्ष 1992 के दौरान 41300 टन, 2900 टन और 8400 टन होने का अनुमान है।

दूध का उपयोग अनेक प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिये किया जाता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, सीएफटीआरआई और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल देश में दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति उत्तरदायी है और इस कार्य में लगे हुये हैं। इसके अलावा उत्पाद फार्मूलेशन प्रौद्योगिकी के विकास और उपस्करों के विकास के साथ-साथ अनेक यूनिटों ने ऊर्जा बचत उपायों का प्रयोग शुरू कर दिया है।

औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों के तैयार करने को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। विद्यमान यूनिटों द्वारा अपने विस्तार के अलावा देश के विभिन्न भागों में उद्यमियों से अनेक दुग्ध उत्पादों को तैयार करने के लिये दुग्ध उत्पाद निर्माण एकक स्थापित करने के लिये 700 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुये हैं जिनमें दुग्ध शर्करा और छेना जैसे आयात किये जाने वाले एवजी भी शामिल हैं। इन पदार्थों को तैयार करने के लिये विदेशी सहयोग वाले एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कृपि मंत्रालय ने जून, 1992 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिये दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश जारी किया है।

CHAPTER VI

MILK AND MILK PRODUCTS

India has one of the largest livestock population in the world. Fifty percent of the buffaloes and 20% of the cattle of the world are found in India. The most important constituent of livestock in our country is milk animal both cows and buffaloes. Dairy development in our country has been acknowledged the world over as one of the modern India's most successful developmental programme.

India is today the third largest milk producing country in the world after Soviet Union and United States. The milk surplus States in India are Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. The manufacturing of milk products is concentrated in these milk surplus States. Annual milk production is estimated to be 56 Million tonns.

About 30% of the total milk production in the country is converted into milk products of which Ghee alone accounts for 85%. The production of milk powder and Infant milk food is estimated to have increased from 1,50,00 tonnes in 1991 to 1,65000 tonnes in the year 1992. Similarly, the production of malted milk food including malted food, cheese, condensed milk is estimated to have increased from 41,000 tonnes, 2500 tonnes and 8100 tonnes during the year 1991 to 41,300 tonnes, 2900 tonnes and 8400 tonnes respectively during the year 1992.

Milk can be used for manufacturing a number of milk products, The National Dairy Development Board, CFIRI and NDRI karnal are responsible and engaged in the development of milk products technology in the country, Besides product formulation, develolpment of technology and equipments a number of units have started using energy saving devices;

The manufacturing of milk products under the Industries Development & Regulations Act has been delicensed. Above 700 memoranda have been received from the entrepreneurs to set up milk products manufacturing units in different parts of the country besides expansion programmesby the existing units. These proposals include manufacturing of a number of milk products including import substitutes like lactose and Casein. A proposal with foreign collabration to manufacture these items has also been cleared. The Ministry of Agriculture in June, 1992 has issued milk and Milk Products Order under the Essential Commodities Act to regulate the production, supply and distribution of milk and milk products in the country.

अध्याय - 7

मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मांस और पाल्ट्री उत्पादों का वर्तमान स्तर लगभग 23 लाख टन है। परन्तु भारतीय सांख्यिकीविदों के अनुमान के अनुसार यह 14 लाख टन प्रतिवर्ष है। खाद्य एवं कृषि संगठन और भारतीय सांख्यिकीविदों के बीच अनुमान का अन्तर शायद पशुओं का मान्यता प्राप्त बूचड़खानों से बाहर वध और मांस का प्रसंस्करण करने के कारण है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत लोग मांस और/या पाल्ट्री उत्पादों का उपयोग करते हैं। मांस की वृधि दर लगभग 10 परतिशत होने का अनुमान है।

मांस उत्पादन के लिये सामान्यतया जिन पशुओं का उपयोग किया जाता है वे गाय, भैंस एवं बकरी, सूअर और पाल्ट्री हैं। देश के कुछ भागों में विशेषकर उत्तर-पूर्व में मिथुन जैसे पशुओं का भी मांस के लिये उपयोग किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मांस का प्रतिशत कुल इसके उत्पादन में इस प्रकार है—भेड़ 40%, बकरी 26%, पाल्ट्री 17% सूअर 16% तथा अन्य 1%। परन्तु पशुओं की संख्या की तुलना में वध दर इस प्रकार है—गाय 1.45%, भैंस 3.45%, भेड़ 32.5%, बकरी 35.58%, सुअर 26.21%। देश में पाल्ट्री मांस उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग 1700 लाख चूजों और लगभग 210000 अंडों का उत्पादन किया जाता है और देश में पाल्ट्री प्रसंस्करण में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगाई गई थी। इस समय उत्पादित मांस का लगभग 1% मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है और देश में उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांश मांस ताजे/फ्रोजन रूप में खरीदा जाता है और घरों, रेस्टोरेंट आदि में इसे विभिन्न मांस उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। सुअर मांस उत्पादों के मामले में उत्पाद परिवर्तन का कार्य सबसे अधिक किया जाता है।

मांस प्रसंस्करण

निर्यात और घेरलू उपभोग के लिये भैंसों के वध हेतु देश में 3600 बूचड़खानों के अलावा 5 आधुनिक बूचड़खाने (एबेटायर्स) और एक एकीकृत बूचड़खाना-मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये हैं। संयुक्त सेक्टर में दूसरे एकीकृत भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 24 ऐसे मांस प्रसंस्करण संयंत्र हैं जो मुख्यतः मांस उत्पादों के निर्यात में लगे हुये हैं। पिछले एक वर्ष में 11 नये निर्यातोन्मुखी मांस प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है और वह कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा पशुओं की खालों को एकत्र करने, सफाई और निर्यात के लिये कुछ कम्पनियां हैं।

सुअर प्रसंस्करण

चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी सेक्टर में स्थापित 8 सुअर मांस फैक्ट्रियों में से 7 कार्य कर रही हैं। इनमें से एक संयंत्र को मांस परिसर में परिवर्तित कर दिया गया है। गुवाहाटी में सरकारी सेक्टर का एक सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसके लिये इस मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष सहायता प्रदान की गई थी।

पाल्ट्री प्रसंस्करण

देश में 5 आधुनिक एकीकृत पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे संयंत्र भी बड़ी संख्या में हैं। यद्यपि वह इतने आधुनिक नहीं हैं। यह संयंत्र सफाई किए गए तैयार मुर्गी मांस और मांस के हिस्कों को तैयार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में क्रमशः एक-एक आधुनिक पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है। विदेशी/अनिवासी भारतीय भागीदारी से 6 बड़े पॉल्ट्री उत्पादन/प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए एक बड़ी परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यद्यपि इस समय पॉल्ट्री उत्पादनों का निर्यात

CHAPTER -VII

MEAT AND POULTRY PROCESSING

The present level of various types of meat and poultry products ie estimated to be about 2.3 million tonnes as per the FAO`s estimate. However, the estimates of the Indian statisticians is about 1.4 million tonnes per year. This defference of estimates between FAO and Indian statisticians is perhaps due to slaughter of animals and processing of meat outside the recognised slaughter houses. Approximately 70% of the Indian population consume meat and/ or poultry products. The growth rate of meat is estimated to be about 10%.

Animals which are generally used for production of meat comprise of cattle, buffaloes, sheep and goats, pigs and poultry. In some parts of the country particularly in the north-east, other species like methun are also used as meat animals. Of the total production, the percentage of meat produced from different sources are: cattle and buffaloes - 40%; Sheep and goat - 26%; poultry 17%; pig - 16%; and others - 1%. However, slaughter rates in relation to the population of the animals are: 1.45% in case of cattle; 3.45% in case of buffaloes; 32.5% in case of sheep; 35.58% in case of of goat; 26.21% in case of pigs. The poultry meat production is gaining ground in the country. It is estimated that about 170 million broilers and about 21,000 million eggs are produced in the country and over Rs. 1000/- crores of capital was employed in the poultry processing in the country. Currently, about 1% of the meat produced is converted into value added products and most meat is purchased by the consumers in the country in the fresh/frozen form and converted into various meat products at homes, restaurants, etc. The maximum conversion takes place only in case of pork products.

MEAT PROCESSING

Besides about 3600 slaughter houses, there are five modern abattoirs and one integrated abattoir meat processing plantfor slaughtering buffaloes for export and domestic consumption have been set up in the country. Another integrated buffalo meat processing plant in the joint sector is being established. In addition, there are 24 meat processing plants who are mainly engaged in export of meat products. In the last one year, 11 new Export-oriented units of meat processing plants have been approved and are reportedly under implementation. In addition, there are a few companies for collecting, cleaning and exporting animal casings.

PORK PROCESSING

There are 7 becon factories, out of the 8 set up in the Fourth Five Year Plan in public sector operating. Of these, one plant has been converted into meat complex. A pork processing pant is being set up in Guwahati in the public sector for which assistance was provided by this Ministry last year.

Poultry processing

There are five modern integrated poultry processing plants fuçntioning in the country. Besides, there are a good number of small plants although not very modern working in the country. These plants are producing dressed frozen chicken and cut parts. A modern poultry processing plant is being established in public sector in Andhra Pradesh, Assam and Madhya Pradesh for which assistance has been provided by this Ministry. One large project for establishment of six large poultry production/

काफी कम है, इन संयंत्रों के स्थापित हो जाने से सरकार ने इनमें से एक संयंत्र को सहायता प्रदान की, जिसके द्वारा 1993-94 में अपना उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

निर्यात

भैंस मांस का उपयोग एक सीमित वर्ग द्वारा ही किया जाता है। अतः देश में उत्पादित अधिकांश मांस का निर्यात किया जाता है, क्योंकि पश्चिम एशिया, मलेशिया और कुछ अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के मांस की काफी अच्छी मांग है। इन देशों में बकरी मांस की मांग भी बढ़ रही है। परन्तु भेड़ और बकरी के मांस की स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसे मांस का निर्यात सीमित है। पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए मांस और मांस-उत्पादों का उल्लेख नीचे किया गया है:—

(मात्रा टनों में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

मद	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बकरी मांस	7474	28.83	8682	32.26	9700	47
भैंस	61764	90.14	62608	108.43	85300	183
योग	69238	118.97	71290	141.41	95000	240

मांस पॉल्ट्री, खालों आदि का निर्यात वर्ष 1992-93 में 330 करोड़ रुपए मूल्य का होने की आशा है।

योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता

इस मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के मांस और मांस-उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए वर्ष 1990-91 से सहायता देना शुरू किया। उस वर्ष आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य उपक्रमों को पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए सहायता दी गई थी। इस तरह मांस और पॉल्ट्री उत्पादों के भंडारण के लिए फुटकर दुकानों में डीप-फ्रीजर लगाने के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कुछ अनुदान सहायता भी दी गई थी। उचित प्रकार से मांस-उत्पादन के लिए कर्मचारियों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने हेतु सी एफ टी आर आई मैसूर और आई वी आर आई, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) को सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। इन संस्थानों ने उस वर्ष में लगभग 70 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया।

इसके बाद वर्ष 1991-92 में पॉल्ट्री, सूअर मांस, और भैंस मांस प्रसंस्करण के विकास के लिए असम, मध्य प्रदेश और पंजाब के राज्य उपक्रमों को सहायता दी गई। यह कार्यान्वयनाधीन है। मांस और पॉल्ट्री उत्पादों के वितरण और बिक्री के लिए असम, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के सहकारी/राज्य उपक्रमों को डीप-फ्रीजर खरीदने के लिए भी सहायता दी गई थी। प्रशिक्षण के प्रयोजनों में लिए मंत्रालय ने सीएफटीआरआई, मैसूर , असम पशुधन और पाल्ट्री निगम, गुवाहटी, आंध्र प्रदेश, मांस और पॉल्ट्री विकास निगम, हैदराबाद और पॉल्ट्री प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, पूना को सहायता प्रदान की और इनके द्वारा 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम के राज्य उपक्रमों और सहकारिताओं को भी मंत्रालय ने सहायता प्रदान की। रिपोर्टाधीन वर्ष में भैंस मांस/भेड़ और बकरी मांस/सूअर मांस/पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, असम और कर्नाटक के सरकारी उपक्रमों/सहकारिताओं को सहायता प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई कुल सहायता 2.60 करोड़ रुपए है।

processing units with foreign/NRI participation has been approved by the Government. Presently, although the export of poultry products is very little, with these plants coming up, the exports, will go up, tour 100% export oriented egg processing plants have also been approved. The Government provided assistance to one of these plants which is likely to start its production in 1993-94.

EXPORTS

Buffalo meat is consumed by a restricted section of the population. Therefore, most buffalo meat produced in the country is exported as there is a good demand for this type of meat in West Asia, Maalaysia, and some of the African countries, The demand for mutton in these countries is also increasing. However, considering the local demand of meat from sheep and goat, export of such meat is limited. The export of meat and meat products in the last three years is indicated beow:

(Quantity in tonnes)
(Value in Rs. Crores)

Item	1989-90		1990-91		1991-92	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Mutton & Goat Meat	7474	28.83	8682	31.26	9700	47
Buffalo Meat	61764	90.14	62608	108.43	85300	183
Total	**69238**	**118.97**	**71290**	**139.69**	**95000**	**230**

In 1992-93, the export of meat, poultry, casings, etc., is likely to touch Rs. 330 crores.

ASSISTANCE UNDER PLAN SCHEMES

The Ministry started providing assistance to various meat and meat products processing from the year 1990-91. In that year, State Undertakings of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh were assisted for establishment of pultry processing plant. Similarly some grants-in-aid were also provided to Maharashtra and Uttar Pradesh for setting up of deep freezers in retail outlets to store meat and poultry products. Assistance was also made available to CFTRI, Mysore and IVRI, Izzatnagar (UP) for training of operatives and managers for proper meat production. These institutes have trained about 70 candidates in that year.

Subsequently, in 1991-92, assistance was provided for development of poultry, pork and buffalo meat processing to State Undertakings in Assam, Madhya Pradesh and Punjab which are under implementation. Assistance was also provided for procuring deep freezers to the cooperatives/State Undertakings of Assam, Andhra Pradesh and Manipur for distribution and retailing of meat and poultry products. For training purposes, the ministry provided assistance to CFTRI, Mysore, Assam Livestock and Poultry Corporation, Guwahati, Andhra Pradesh meat and Poultry Development Corporation, Hyderabad and 100 operators and managers were trained. The Ministry also provided assistance to cooperatives and State Undertakings in West Bengal, Manipur and Assam for preparation of techno-economic feasiblity reports.

In the year under report, assistance has been provided to cooperatives/State Undertaings of Punjab, Mizoram, Nagaland, Assam, and Karnataka for setting up of buffalo meat/sheep and goat meat/pork/poultry processing plants. The total assistance provided is over Rs. 2.60 crores in the

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने पिछड़े संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए असम पशुधन और पाल्ट्री निगम तथा तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को भी सहायता प्रदान की। मांस और मांस-उत्पादों का वैज्ञानिक रूप में उत्पादन करने के लिए इस मंत्रालय ने 115 कर्मचारियों और 25 व्यावसायिकों के प्रशिक्षण आयोजन के लिए भी सहायता दी।

current financial year. In addition, the Ministry has also provided assistance for backward linkages to Assam Livestock and Poultry Corporation and for preparation of techno-economic feasibility reports to Mizoram, Assam, Madhya Pradesh, and Karnataka. The Ministry also assisted organisations for training of 115 operatives and 25 professionals for scientific production of meat and meat products.

अध्याय 8

गहन समुद्री मात्स्यिकी

संयुक्त उद्यम परीक्षण मात्स्यिकी और पट्टेदारी

मार्च 1993 में घोषित नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति 92-93 के दौरान पूर्णतः प्रभावकारी हो गयी क्योंकि संयुक्त उद्यम, परीक्षण मात्स्यिकी और पट्टेदारी के अन्तर्गत बहुत से जलयानों को स्वीकृति प्रदान की गयी और कुछ जलयानों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति लागू होने के बाद संयुक्त उद्यम पट्टेदारी, परीक्षण मात्स्यिकी और जलयान प्राप्त करने के लिए 35 आवेदन इस मंत्रालय में प्राप्त हुए। इनमें से 20 प्रस्ताव संयुक्त उद्यम के लिए, 6 परस्ताव पटटेदारी के लिए 7 प्रस्ताव परीक्षण मात्स्यिकी के लिए और 2 प्रस्ताव गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिये हैं। उपर्युक्त 35 आवेदनों में से मंत्रालय द्वारा संयुक्त उद्यम के 16 प्रस्तावों पट्टेदारी के 3 प्रस्तावों संयुक्त उद्यम वाले परीक्षण मात्स्यिकी के 6 प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गयी है। उक्त तीन स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों में निहित जलयानों की कुल संख्या 113 है। नई गहन समुद्री मात्स्यिकी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि गैर-श्रिम्प संसाधनों के दोहन के लिए बड़े गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों द्वारा कार्य आरंभ करना है। बहुत सी कंपनियों द्वारा परीक्षण मात्स्यिकी के लिए भी जलयान लाये गये हैं। जो अन्ततः संयुक्त उद्यमों के रूप में कार्य करेंगे। जिन कंपनियों ने विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों का प्रचालन आरंभ किया है उनके नाम, जलयानों के ब्यौरे के साथ इस प्रकार हैं:—

सारणी-4

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम	जलयानों के ब्यौरे	परियोजना की किस्म
1.	मै॰ लियो सी फूड लिमिटेड, नई दिल्ली	एक 83 मीटर स्टर्न ट्रालर सभी प्रकार की मछलियों के लिए	उत्तर कोरियाई कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम
2.	मै॰ ओरियन्टल हाई सीज फिसरीज लि॰, विशाखापत्तनम	एक्र 110 मीटर स्टर्न ट्रालर सुरिमी और फिस फिलेट्स के उत्पादन के लिए	जापानी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम
3.	मै॰ इंडामर फिसरीज लि॰, नई दिल्ली	दो 37 मीटर स्टर्न ट्रालर सभी प्रकार की मछली के लिए	थाई कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम

CHAPTER VIII

DEEP SEA FISHING

Joint Ventures Test Fishing and leasing

New Deep Sea Fishing Policy announced in March 1991 became fully effective during the year 1992-93 as a number of vessels under Joint Ventures, Test Fishing and Leasing were permitted and operation of a few vessels was started. Since the inception of the new deep sea fishing policy, 35 applications for joint ventures, leasing, test-fishing and acquisition were received in the Ministry. This consists of 20 (twenty) proposals for joint ventures, 6 (six) proposals for leasing, 7 (seven) proposals for test fishing and 2 (two) proposal for acquisition of deep sea fishing vessels. Out of the above 35 proposals, permission has already been accorded by the Ministry for 16 joint venture proposals, 3 proposals for leasing and six proposals for test fishing leading to joint venture. The total number of vessels involved in the cases cleared under the above three schemes is 113. One of the achievements of the New Deep Sea Fishing Policy is the introduction of large deep sea fishing vessels for harvesting of non-shrimp resources. A number of companies have also brought vessels for test fishing, which would ultimately lead to joint ventures. The names of the companies, who have started operations of deep sea fishing vessels under various schemes with the particulars of the vessels, are given below:

Table 4

S.No.	Name of the Company	Particulars of the vessel	Type of project
1.	M/s Leo Sea Food Ltd., New Delhi.	83-Metre Stern Trawler - 1 No. All types of fish.	Jt. Venture with North Korean Co.
2.	M/s Oriental High Seas Fisheries Ltd., Visakhapatnam.	110-Metre Stern Trawler -1 No. for production of Surimi & Fish Filletes.	Joint Venture with Japanese Company
3.	M/s Indamar Fisheries Ltd., New Delhi	37-Metre Stern Trawler - 2 Nos. All types of fish.	Jt. Venture with Thai Company.

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम	जलयानों के ब्यौरे	परियोजना की किस्म
4.	मै॰ सोविन सी फूड लि॰, नई दिल्ली	एक 104 मीटर स्टर्न ट्रालर सभी प्रकार की मछली के लिए	रूसी कम्पनी के साथ परीक्षण मात्स्यिकी सहयोग
5.	मै॰ सर्व कन्सुलेट मैरीन प्रोडक्टस प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली	एक 55 मीटर स्टर्न ट्रालर सभी प्रकार की मछली के लिए	रूसी कंपनी के साथ परीक्षण मात्स्यिकी
6.	मै॰ बोयन्सी, नई दिल्ली	एक 79.20 मीटर स्टर्न ट्रालर सभी प्रकार की मछली के लिए	कोरिया की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि संयुक्त उद्यम / परीक्षण मात्स्यिकी के अन्तर्गत 6 कंपनियों ने 7 जलयानों से प्रचालन आरंभ कर दिया है। गैर-श्रिम्प संसाधनों के दोहन के लिए इन बड़े अत्याधुनिक गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के चलाये जाने की शुरुआत से यह पता चलता है कि गहन समुद्री मात्स्यिकी परियोजनाएं अधिक मूल्यवान क्रस्टेसियन संसाधनों के दोहन के बिना भी अर्थक्षम हो सकती हैं। संयुक्त उद्यमों और संयुक्त उद्यमों के लिए परीक्षण मात्स्यिकी के स्वीकृत कुल प्रस्तावों की संख्या 22 है। आशा है कि इन परियोजनाओं से 58 लाख अमरीकी डालर का कुल विदेशी पूंजी निवेश होगा।

मछली प्रसंस्करण में 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट

गहन समुद्री मात्स्यिकी के अलावा श्रिम्प मछली पालन / मछली प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने हेतु 36 प्रस्तावों को 92-93 के दौरान मंजूरी दी गयी है। इनमें से 6 परियोजनाएं विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यम हैं। इन परियोजनाओं में कुल विदेशी पूंजी निवेश से लगभग 1230 लाख अमरीकी डालर होगा। 100 प्रतिशत विदेशी निवेश के साथ ताजे जल की झींगापालन और प्रसंस्करण के लिए पहली बार मंजूरी दी गयी है जिसका लक्ष्य 1500 मी॰ टन / हेक्टेअर उत्पादन प्राप्त करना है।

गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के लिए वित्तपोषण

गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देकर गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के वित्त पोषण का कार्य शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी (एस॰डी॰एफ॰सी॰) द्वारा किया जाता था। शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी द्वारा 85 कंपनियों द्वारा 156 गहन समुद्री जलयान प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण किंया गया था।

एस॰डी॰एफ॰सी॰ को अप्रैल 1987 में समाप्त कर दिया गया और गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण का कार्य शिपिंग क्रेडिट एन्ड इनवेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लि॰ (एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰) ने ले लिया। एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ ने 36 जलयान प्राप्त करने के लिए 73.06 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। प्रचालन और प्रबन्ध संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग में अधिकांश कंपनियों को घाटा हुआ है। गहन समुदरी

S.No.	Name of the Company	Particulars of the vessel	Type of project
4.	M/s Sovin Sea Food Ltd., New Delhi	104-Metre stern Trawler - 1 No. All types of fish.	Test Fishing in Collaboration with Russian Company
5.	M/s Sarb Consulate Marine Products Pvt. Ltd., New Delhi	55-Metre Stern Trawler - 1 No. All types of fish.	Test Fishing with Russian Company
6.	M/s Buoyancy, New Delhi.	79.20 Metre Stern Trawler - 1 No. All types of fish.	Jt. Venture with Korean Company.

From the above Table, it could be observed that six companies have started operation of 7 vessels under joint ventures/test fishing. The initial trend on operation of these large sophisticated deep sea fishing vessels for harvesting of non-shrimp resources indicate that deep sea fishing projects can be viable even without the exploitation of high valued crustaceans resources. The total number of proposals cleared for joint ventures and test fishing leading to joint ventures is 22. The total foreign investment expected from these projects is US $ 5.8 million.

100% EOU'S in Fish Processing

Apart from deep sea fishing, 36 proposals to set up 100% EOU in shrimp acquaculture/ fish processing and marketing have been cleared during 1992-93. Six projects out of these, involve joint ventures with foreign equity participation. The total foreign investment in these projects would be US $ 123 million approx. Farming and processing of fresh water prawn with 100% foreign investment has been permitted for the first time to achieve production of 1500 Mt/hectare.

Financing for deep sea fishing vessels

The task of financing of deep sea fishing vessels was performed by Shipping Development Fund Committee (SDFC) by providing soft loans for acquisition of deep sea fishing vessels. the SDFC had financed acquisition of 156 deep sea fishing vessels by 85 companies.

The SDFC was abolished in April, 1987 and the Shipping Credit and Investment Company of India Ltd. (SCICI) took up the work of financing of acquisition of deep sea fishing vessels. SCICI has sanctioned an amount of Rs.73.06 crores for acquisition of 36 vessels. Due to various operational and managerial problems, most of the companies in deep sea

मात्सियकी उद्योग संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्ववर्ती एस॰डी॰एफ॰सी॰ द्वारा सहायित मात्स्यिकी कंपनियों को पुनर्वास रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। मंत्रालय के आदेश पर एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ द्वारा 4 अप्रैल 1991 को गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के लिए पुनर्वास स्कीमें घोषित की गयी जिसमें बहुत सी रियायतें जैसे दण्डब्याज की माफी, ऋण वापसी के लिए समय बढ़ाया जाना आदि शामिल हैं। इस पुनर्वास स्कीम को जून 1992 में और अधिक उदार बना दिया गया। 42 गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों के पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिए गये हैं।

गहन समुद्री मात्स्यिकी के विकास हेतु स्कीम

गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के समन्वित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बुनियादी ढ़ाचें के विकास से संबंधित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कीं:—

1. कौल्ड चेन स्थापित करने की स्कीम

यह स्कीम, बड़े मछली उत्पादन केन्द्रों और विपणन केन्द्रों में मछली के परिरक्षण और आपूर्ति के लिए कोल्ड स्टोरेज बर्फ संयंत्र और उष्मारोधी वाहनों जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक करोड़ के बजट आबंटन में से वर्ष 1992-93 के दौरान आन्ध्र प्रदेश फिसरीज कार्पोरेशन को 39.5 लाख रुपये की राशि पहले ही प्रदान कर दी गयी है। अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

2. टूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण के लिए स्कीम

भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन से प्रतिवर्ष 39 लाख टन मछली संसाधनों के दोहन की संभावना है। इसमें से 25 लाख टन टूना संसाधन होने का अनुमान है। इस संभावना को देखते हुए ताजी/फ्रोजन और डिब्बाबन्द टूना सुविधाएं तैयार करना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए इसके देश में टूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/राज्य स्तरीय सहकारिताओं इत्यादि को परियोजना की पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान देकर सहायता देने का प्रस्ताव है। यह सहायता टूना, श्रिम्प, लाबस्टर और वार्स फिस जैसी मछलियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक/अत्याधुनिक मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु दी जायेगी। 1992-93 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता देने के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

3. तटरक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के प्रभावकारी कार्यान्वयन की स्कीम

चूंकि तट रक्षक बल को भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर निगरनी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है अतः मात्स्यिकी जलयान के साथ जलयान से तट तक सीधी रेडियो संचार व्यवस्था लगाने हेतु धन-राशि उपलब्ध करके तट रक्षक बल की संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके अलावा इस सुविधा से तट रक्षक बल को समुद्र में मछली पकड़ रहे भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपेक्षित सहायता देने में भी मदद मिलेगी। इस स्कीम के लिए 1992-93 के दौरान 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है और तट रक्षक बल के अनुरोध पर इस राशि को उन्हें देने की प्रक्रिया चल रही है।

fishing industry have incurred losses. The Government decided that the erstwhile SDFC-assisted fishing companies should be provided rehabilitation reliefs after taking into account representations made by the Association of deep sea fishing industry. On the behest of this Ministry, a rehabilitation scheme for deep sea fishing industry was announced on 4th April, 1991 by SCICI which includes various reliefs such as waiver of penal interest, extended time for repayment of loan etc. This rehabilitation scheme was further liberalised in June, 1992. The rehabilitation proposals from 42 deep sea fishing companies have been approved.

Scheme for development of Deep Sea Fishing

With a view to achieving an integrated development of the deep sea fishing sector, the Ministry implemented the following schemes relating to infrastructure development:

(i) **Schemes for setting up of Cold Chain**

This is a scheme for development of infrastructure facilities of cold storages, ice plants and insulated vehicles for preservation and supply of fish at major fish producing centres and marketing centres. Proposals for implementing this scheme have been received from the States of Andhra Pradesh, Orissa, Kerala and West Bengal. Out of a budget allocation of Rs.1 crores, Rs.39.5 lakhs has already been released to the Andhra Pradesh Fisheries Corporation (APFC) during the year 1992-93. Other proposals are under consideration.

(ii) **Scheme for Tuna and other fish processing**

The potential of annual exploitable fishing resources from the Indian EEZ is 3.9 million tonnes. Out of this, the tuna resources are estimated to be around 2.5 lakh tonnes. Considering the potential, it is felt necessary to build up facilities for handling tuna in fresh/frozen and canned forms. Towards this end, it has been decided to establish tuna and other fish processing centres in the country. Under this scheme it is proposed to assist public sector/joint sector/State level cooperatives etc. by providing grant to the extent of 50% of the capital cost of the project. The assistance would be provided for setting up of modern/sophisticated fish processing plants for processing quality fish like tuna, shrimp, lobster and also trash fish. During 1992-93, an amount of Rs.1 crore has been earmarked for providing assistance under this scheme.

(iii) **Scheme for effective implementation of MZI Act, 1981 by providing funds for installation of communication facilities to Coast Guard**

Since Coast Guard are authorised to monitor fishing by foreign vessels under the MZI Act, 1981, a need was felt to strengthen their communication facilities by providing funds for them to set up ship to shore and vice versa direct voice (radio) communication link with fishing vessels. Apart from this, the link will also help the Coast Guard in ensuring safety of the Indian owned vessels fishing at sea and in rendering any assistance required. During 1992-93 an amount of Rs.1 crore has been earmarked for this scheme and the request of the Coast Guard for release of this amount is under process.

4. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिड़ी प्रदान करने की स्कीम

एस॰सी॰आई॰सी॰आई॰ द्वारा गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों को जलयान प्राप्त करने के लिए रियायती दरों पर ऋण दिए जाने के लिए यह महसूस किया गया कि एस॰सी॰आई॰ सी॰आई॰ को ब्याज के अन्तर की राशि सब्सिड़ी के रूप में प्रदान की जाय। वर्ष 1992-93 के दौरान इस स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है और इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता के लिए एफ॰सी॰आई॰सी॰आई॰ का अनुरोध विचाराधीन है।

5. गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण उद्यमों में मपेडा के माध्यम से इक्विटी भागीदारी की स्कीम

विविधीकृत क्षेत्रों में गहन समुद्री मात्स्यिकी में पूंजी बहुत अधिक लगती है। मपेडा के पास पहले ही इस क्षेत्र में कम्पनियों की इक्विटी में भागीदारी की एक स्कीम है ताकि उद्यमियों का वित्तीय भार कम किया जा सके और उनके कुशल प्रबन्ध में मपेडा की अनुकूल भागीदारी की व्यवस्था हो सके। इस स्कीम के अन्तर्गत धनराशि मपेडा को प्रदान की जायेगी जो इससे गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों के साथ इक्विटी भागीदारी की व्यवस्था करेगा। वर्ष 1992-93 के दौरान इस स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

6. विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सहायता

यह महसूस किया गया है कि श्रिम्प संसाधनों का दोहन अधिकतम स्तर तक हो चुका है और मौजूदा श्रिम्प ट्रालरों में से कुछ में विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अन्तर्गत धनराशि मपेडा को प्रदान की जायेगी जो इसे जलयानों/ट्रालरों में सुधार की लागत पर सब्सिडी के रूप में सहायता देने पर खर्च करेगा। वर्ष 1992-93 के दौरान इस स्कीम के लिये 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड

देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर का समन्वयकारी ढंग से समग्र विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड बनाना आवश्यक समझा गया। इस बोर्ड को पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस बोर्ड के लिए 1992-93 के दौरान 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। बोर्ड की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, बम्बई

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय, बम्बई, भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिये एक नोडल एजेंसी है। इस संस्थान का मुख्यालय बम्बई में स्थित है। सात परिचालन केन्द्र पश्चिमी तट में पोरबंदर, बम्बई, मरमूगांव और कोचीन में पूर्वी तट में मद्रास और विशाखापत्तनम में और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। परिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक मात्स्यिकी के माध्यम से यह संस्थान भारत में तट से दूर और समुद्र के अन्दर मात्स्यिकी के विकास में सहायक रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण/मानिटरिंग सर्वेक्षण जारी रखा गया और विभिन्न तकनीकों का परीक्षण किया गया।

(iv) **Scheme for providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessels**

In order to provide loans to deep sea fishing companies for acquisition of vessels on concessional rate of interest by SCICI, it was felt that an interest differential subsidy be provided to SCICI. During the year 1992-93, an amount of Rs.1 crore has been earmarked for this scheme and the request of SCICI for assistance under this scheme is under consideration.

(v) **Scheme for equity participation in Deep Sea Fishing and processing ventures (through MPEDA)**

Deep sea fishing in diversified fields has become capital intensive. MPEDA have already got a scheme to participate in the equity of companies in this field in order to reduce financial burden on the entrepreneurs and also to provide positive participation of MPEDA in their efficient management. The funds under the scheme will be released to MPEDA, who in turn will provide their equity participation to deep sea fishing companies. An amount of Rs.1 crore has been earmarked for this scheme during 1992-93.

(vi) **Assistance for diversified fishing**

It is felt that exploitation of shrimp resources has reached a saturation point and there is a need for some of the existing shrimp trawlers to be modified to do diversified fishing. The funds under this scheme would be released to MPEDA who will in turn provide assistance as subsidy on the cost of modification of the vessels/trawlers. An amount of Rs.50 lakhs has been earmarked for this scheme during 1992-93.

(vii) **National Marine Fisheries Development Board (NMFDB)**

Considering the need to promote the overall development of the deep sea fishing sector in the country in a coordinated manner, it was felt necessary to form a National Marine Fisheries Development Board. This Board is proposed to be set up as a registered society. An amount of Rs.1 crore has been earmarked for this Board during 1992-93. The procedural formalities for setting up of this Board are in progress.

FISHERY SURVEY OF INDIA, BOMBAY

Fishery Survey of India (FSI), Bombay is the nodal agency for the survey and assessment of marine fishery resources in the Indian Exclusive Economic Zone. With its headquarters at Bombay, the Institute has seven operational bases viz. Porbandar, Bombay, Mormugao and Cochin along west coast, Madras and Visakhapatnam along East coast and Port Blair in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. The Institute has been instrumental in the development of offshore and deep sea fishing in India through experimental and exploratory fishing. During the year 1992-93, the fishery resources surveys/monitoring surveys were continued and diversified techniques were experimented.

किये गये संसाधन सर्वेक्षण

भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में मात्स्यिकी स्रोतों के सर्वेक्षण और मानिटरिंग के लिये संस्थान के पास विभिन्न बेसों में 12 महासागर में चलने वाले सर्वेक्षण जलयान हैं। अप्रैल से दिसम्बर 92 तक जलयानों ने कुल 1249 दिन समुद्र में बिताये और 895 दिन वास्तविक मात्स्यिकी कार्य किया। सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य महाद्वीपीय सेल्फ और संपूर्ण भारतीय तटों के साथ-साथ डिमर्सल संसाधनों और उत्तर-पश्चिमी तटों में महासागरीय टूना और संबंधित प्रजातियों का सर्वेक्षण करना और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आस-पास विशिष्ट भारतीय आर्थिक जोन में भी इन्हीं प्रजातियों का सर्वेक्षण करना था। वर्ष 1992-93 के लिये पूरे किये गये भौतिक लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

ब्यौरे	उपलब्धियां अप्रैल—दिसम्बर, 92	लक्ष्य जनवरी-मार्च, 93	उपलब्धियां (1992-93 अनुमानित)
1. जलयानों की संख्या	12	12	12
2. समुद्र में रहने के दिन	1249	660	1909
3. मछली पकड़ने के दिन	895	589	1484
4. सर्वेक्षित क्षेत्र (000 वर्ग कि०मी०)			
डिमर्सल	35	33	68
5. टूना लांग लाइनिंग	48	36	84

वर्ष के दौरान ट्रालिंग सर्वेक्षण और लांग लाइनिंग सर्वेक्षण किया गया क्षेत्र क्रमशः 68,000 वर्ग कि०मी० और 84000 वर्ग कि०मी० है पिछले चार वर्षों के दौरान सर्वेक्षित क्षेत्र के बारे में प्रगति इस प्रकार है:—

(क्षेत्र 000 वर्ग कि०मी० में)

सर्वेक्षण की किस्म	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 अनुमानित
डिमर्सल ट्रालिंग	62.9	71.0	57.0	68.0
टूना लांग लाइनिंग	43.5	32.0	35.7	84.0

विविध प्रकार की मात्स्यिकी

मात्स्यिकी उद्योग के विकास और भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिये विविध प्रकार की मात्स्यिकी की आवश्यकता को देखते हुये भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान सेफलपोड्स, ट्रेप मात्स्यिकी, आदि के लिये स्क्विड जिगिंग, गहराई में लॉग लाइनिंग, ट्रालिंग के क्षेत्रों में विविध प्रकार की मात्स्यिकी का कार्य किया / जारी रखा।

सूचना का प्रसारण

संस्थान के वैज्ञानिकों और रिसर्च फैलो ने सर्वेक्षण जलयानों की यात्राओं में भाग लिया और संसाधनों, जैविकीय और समुद्र विज्ञानी पैरामीटरों पर आंकड़े एकत्र किये। इन आंकड़ों को बुलेटिनों, सूचना सीरीज, वार्षिक रिपोर्ट और वैज्ञानिक लेखों के रूप में उपभोगकर्त्ताओं तक पहुंचाया जाता है। वर्ष के दौरान निकाले गये कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन इस प्रकार हैं:—

Resources surveys undertaken

For survey and monitoring of fishery resources in the EEZ, the Institute has 12 ocean going survey vessels stationed at different bases. During April-December 1992 the vessels spent a total of 1249 days at sea and conducted actual fishing on 895 days. The surveys were mainly directed towards demersal resources in the continental shelf and slope all along the Indian coast, and oceanic tunas and allied species in the North-West coast and the EEZ around the Andaman & Nicobar Islands. The accomplishment of physical targets for the year 1992-93 is given below:

	Particulars	Achievement April-Dec'92	Target Jan-March'93	Achievement (1992-93) Projected
1.	No. of vessels	12	12	12
2.	Days out at sea	1249	660	1909
3.	Days fished	895	589	1484
4.	Area surveyed ('000 sq.km)			
	- Demersal trawling	35	33	68
	- Tuna long lining	48	36	84

The area covered (projected) during the year under trawl survey and longline survey is 68,000 sq.km and 84,000 sq.km respectively. The progress regarding coverage of area during the last four years is given below:

(Area in '000 sq.km)

Type of survey	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (projected)
Demersal trawling	62.9	71.0	57.0	68.0
Tuna long lining	43.5	32.0	35.7	84.0

Diversified fishing

Considering the need for diversified fishing for growth of fishing industry and optimum exploitation of resources available in the EEZ, the FSI took up/continued diversified fishing in the areas of squid jigging, bottom set longlining, trawling for cephalopods, trap fishing etc. during the year.

Dissemination of information

Scientists of the Institute as well as Research Fellows participated in the cruises of survey vessels and collected data on the resources as well as on the biological and oceanographic parameters. The data thus generated is disseminated to the end-users in the form of Bulletins, Information Series, Annual Report etc. and also in the form of scientific papers. Important among the publications released during this year are:

(क) फिशरी रिसोर्सेज आफ लक्षद्वीप (भा॰मा॰सर्वे॰ का बुलेटिन सं॰ 22)

(ख) एक्सप्लोटोरी स्क्विड-जिगिंग इन इण्डिया विथ नोट्स आन ई॰ई॰जेड-I (बुलेटिन सं॰ 24)

(ग) रिमोट सेंसिंग आफ मैरीन फिशरीजः स्टेट-आफ-आर्ट कम इण्डियन एक्सप्रीऐंस (ज्वांइट पब्लिकेशन आफ एफ॰एस॰आई एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अहमदाबाद)

(घ) रिजल्ट्स आफ चार्टर्ड फिशिंग वेसेल्स आपरेशन इन इण्डियन ई॰ ई॰ जेड (सं॰ 2) पिछले चार वर्षों के दौरान निकाले गये प्रकाशनों की संख्या नीचे दी गई हैः—

प्रकाशन	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)
बुलेटिन्स	—	2	1	5
सामयिक लेख	—	—	1	1
विशेष प्रकाशन	1	—	1	1
संसाधन सूचना सीरीज	1	2	3	4
मीना न्यूज	3	3	3	4
भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में भाड़े पर लिये गये मात्स्यिकी जलयानों के कार्य	—	—	1	2
वैज्ञानिक लेख	4	7	6	10
वार्षिक रिपोर्ट	1	1	1	2*
सर्वेक्षण कार्यक्रम	1	1	1	1

*अंग्रेजी और हिन्दी में।

उद्योग पर प्रभाव

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों को समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के संपूर्ण विकास में एक बड़ी सहायक भूमिका निभानी है। गहरे समुद्र और महासागरीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी क्षमताओं के गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन से उद्योग के लिए एक आधार बन गया है ताकि वह फिन मछली और सेफलपोड संसाधनों के लिए गहन समुद्री मात्स्यिकी का विविधीकरण कर सके। वर्ष 1992-93 के दौरान परीक्षण मात्स्यिकी और संयुक्त उद्यमों के अन्तर्गत गहन समुद्री और महासागरीय मात्स्यिकी के लिए ऐसी अनेक परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से जो मात्स्यिकी आंकड़ा आधार प्राप्त हुआ उससे उद्योग द्वारा मात्स्यिकी परियोजनाएं तैयार करने में सहायता मिली।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

इस संस्थान ने सिफनेट कोचीन द्वारा भेजे गये कर्मचारियों को जलयान के अन्दर पाठ्यक्रमोपरान्त प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे वह मात्स्यिकी जलयानों में तैनाती की परीक्षा के लिए अपेक्षित समुद्र सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकें। वर्ष के दौरान

(a) Fishery Resources of Lakshadweep (Bulletin 22 of FSI)

(b) Exploratory squid-jigging in India with notes on biology of squids (Bulletin 23)

(c) Contributions on deep sea fishery resources in the Indian EEZ - I (Bulletin 24)

(d) Remote sensing of marine fisheries : State-of-the-art cum Indian experience (joint publication of FSI and Space Application Centre, Ahmedabad).

(e) Results of chartered fishing vessels operation in the Indian EEZ (No.2).

The number of publications brought out during the last 4 years are given below:

Publications	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (Projected)
Bulletins	-	2	1	5
Occasional paper	-	-	1	1
Special publication	1	-	1	1
Resources Information Series	1	2	3	4
Meena News	3	3	3	4
Chartered fishing vessels operation in Indian EEZ	-	-	1	2
Scientific papers	4	7	6	10
Annual Report	1	1	1	2*
Survey programme	1	1	1	1

*In English and Hindi

Impact on Industry

The findings of the FSI have a major contributory role to play in the overall growth of the marine fishing industry. The qualitative and quantitative assessments of fishery potential in deep sea and oceanic regions formed the basis for the industry to diversity to deep sea fishing for fin fish and cephalopod resources. During 1992-93, several such projects for deep sea and oceanic fishing under test fishing and joint ventures were approved by the Ministry. The fishery data base generated from the surveys made by FSI, formed the basis for formulation of the fishery projects by the industry.

Training of operatives

The Institute imparted in-vessel post institutional training to candidates sponsored by CIFNET, Cochin, enabling them to acquire requisite sea-service to appear for the

10 प्रशिक्षार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। पिछले चार वर्षों के दौरान संस्थान से प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या नीचे दी गई है:—

विवरण	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)
वर्ष के आरंभ में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	27	26	17	13
वर्ष के दौरान नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	13	3	7	5
वर्ष के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणर्थियों की संख्या	14	12	11	7
वर्ष के अंत में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	26	17	13	11

स्टाफ संख्या

संस्थान के लिए स्वीकृत कुल स्टाफ संख्या 746 है जिसमें 69 वैज्ञानिक पद, 491 तकनीकी पद और 186 प्रशासनिक पद शामिल हैं। वर्ष 1989-90 से उपलब्ध पदों की संख्या नीचे दी गई है।

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
वैज्ञानिक	49	49	69	69
तकनीकी	477	485	491	491
प्रशासनिक	210	210	186	186
योग:	736	744	746	746

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों का आरक्षण

आरक्षण के मानदण्डों का अनुपालन करते हुये संस्थान द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित और भरे गये पदों की संख्या इस प्रकार है:—

	अनु॰ जाति	अनु॰ जनजाति	योग
आरक्षित पद	14	9	23
भरे गये पद	6	2	8*
भरे जाने वाले पद	8	7	15

*उक्त श्रेणी के उम्मीद्वारों के उपलब्ध न होने से प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति पर सामान्य श्रेणी से भरे गये दो पद भी शामिल हैं।

examinations for manning fishing vessels. 10 trainees completed their training during the year. The number of trainees with the Institute during the last 4 years is given below.

Particulars	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (Projected)
No. of trainees at the beginning of the year	27	26	17	13
No. of trainees appointed during the year	13	3	7	5
No. of trainees who completed training during the year	14	12	11	7
No. of trainees available at the end of the year	26	17	13	11

Staff strength

The total sanctioned staff strength of the Institute is 746 which includes 69 scientific posts, 491 technical posts and 186 administrative posts. The number of posts available since 1989-90 are as follows:

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
Scientific	49	49	69	69
Technical	477	485	491	491
Administrative	210	210	186	186
TOTAL	**736**	**744**	**746**	**746**

Reservation of posts for SC/ST

Following the norms of reservation, the number of posts reserved by the Institute for SC/ST categories and the number of posts filled during the last 4 years are given below.

	SC	ST	Total
No. of posts reserved	14	9	23
No. of posts filled up	6	2	8*
No. of posts to be filled	8	7	15

*Includes 2 posts filled from general category on deputation/promotion due to non-availability of SC/ST candidates.

रिक्त पदों को भरने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:—

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार कर लिया गया है संस्तुति की प्रतीक्षा की जा रही है	— 1 पद
चुने गये उम्मीद्वार को चिकित्सा जांच के लिये भेजा गया	— 1 पद
केन्द्रीय रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गई	— 7 पद
संघ लोक सेवा आयोग/मंत्रालय के साथ पत्राचार	— 2 पद
पद के लिये दुबारा विज्ञापन	— 1 पद
अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वार के उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षण के लिये प्रस्तावित	— 1 पद
उम्मीद्वारों के उपलब्ध न होने के कारण प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति पर भरे गये	— 2 पद

निष्पादन बजट

चालू वर्ष के लिये संस्थान को योजना के अंतर्गत 1150 लाख रुपये और गैर योजना के अंतर्गत 163 लाख रुपये का बजट अनुदान दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान और पिछले चार वर्षों के दौरान बजट और व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(रु० लाखों में)

	योजना	गैर-योजना
बजट अनुदान	1150.00	163.00
संशोधित बजट अनुमान (प्रस्तावित)	1013.00	156.20
दिसंबर 92 तक वास्तविक व्यय	380.92	112.33
जनवरी 93 से मार्च 93 तक होने वाला व्यय	580.08	50.67

1989-93

(रु० लाखों में)

	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बजट अनुदान	885	241	800	157	1000	161.00	1150	163
फाइनल अनुदान	589.81	222.80	708.10	138.44	770.05	136.07	1013*	156*
वास्तविक व्यय	459.72	215.79	486.85	118.05	686.16	132.52	961**	163**

*प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान

**अनुमानित व्यय जिसमें दिसम्बर 92 तक वास्तविक व्यय और जनवरी से मार्च, 93 तक होने वाला व्यय शामिल है।

Action is in progress to fill up the vacant posts as below:

Interview conducted by UPSC, recommendation awaited	1 post
Selected candidate referred for medical examination	1
Requisition sent to Central employment exchange/ Staff Selection Commission	7
Under correspondence with UPSC/Ministry	2
Post being re-advertised	1
Proposed for dereservation due to non-availability of ST candidate	1
Filled on deputation/promotion due to non-availability of candidates	2

Performance budget

The budget grant for the Institute for the current year is Rs.1150 lakhs under Plan and Rs. 163 lakhs under Non-Plan. The details of the budget and expenditure in the current year and also during the last 4 years, are given below:

1992-93 **(Rs. in lakhs)**

	Plan	Non Plan
Budget grant	1150.00	163.00
Revised Budget Estimate (Proposed)	1013.00	156.20
Actual Expenditure upto December '92	380.92	112.33
Anticipated expenditure from 1/93 to 3/93	580.08	50.67

1989-93 **(Rs. in lakhs)**

	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93	
	Plan	Non plan	Plan	Non plan	Plan	Non plan	Plan	Non plan
Budget Grant	885	241	800	157	1000	161.00	1150	163
Final Grant	589.81	222.80	708.10	138.44	770.05	136.07	1013*	156*
Actual Expenditure	459.72	215.79	486.85	118.05	686.16	132.52	961**	163**

* Proposed RBE.

** Projected expenditure including actuals upto Dec.'92 and anticipated for Jan-March '93.

अध्याय 9

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

क. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिडेट की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कम्पनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका मौजूदा नाम नवम्बर, 1982 में अपनाया गया था।

पूंजीगत संरचना

31.12.92 को कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ और प्रदत्त पूंजी (बकाया आबंटन सहित) 8.9842 करोड़ रुपये थी। 31.12.1991 को लगभग 3.59 करोड़ रुपये की तुलना में कम्पनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.12.92 को 4.96 करोड़ रुपये थी।

भौतिक कार्यनिष्पादन

ब्रेड: कम्पनी ने सफेद सैन्डविच ब्रेड, मीठी डबल रोटी, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, ब्राउन डबल रोटी, और पोषण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रकार की डबल रोटी का उत्पादन और विपणन अपने 13 ब्रेड निर्माता यूनिटों के माध्यम से जारी रखा। यह ब्रेड निर्माता यूनिट अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और रांची में स्थित हैं। अप्रैल 1992 से दिसंबर 1992 की अवधि के दौरान डबल रोटी की कुल बिक्री 15.32 करोड़ मानक डबल रोटी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 14.81 करोड़ मानक रोटी थी। अप्रैल 1992 से दिसंबर 92 के दौरान वाणिज्यिक बिक्री 12.98 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 13.93 करोड़ मानक डबल रोटी थी। इसी अवधि में पोषाहार के अन्तर्गत बिक्री 2.34 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 0.88 करोड़ मानक डबल रोटी थी।

ब्रेड की बिक्री को बढ़ाने और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कम्पनी के ब्रेड निर्माता संयंत्र स्थापित नहीं हैं ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने विभिन्न प्राइवेट ब्रेड निर्माताओं के साथ विशेष करार करने का निर्णय लिया है जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पौष्टिक ब्रेड उपलब्ध कराई जायेगी और रायल्टी के रूप में इससे आमदनी भी होगी। अप्रैल से दिसंबर, 1992 के दौरान विशेष करार वाले यूनिटों ने 192 लाख मानक डबल रोटियां बेचीं और कम्पनी ने लगभग 10.00 लाख रुपये (अनुमानित) की रायल्टी प्राप्त की।

फल रस बॉटलिंग संयंत्र दिल्ली: संयंत्र ने चलती फिरती गाड़ियों और बिक्री मशीनों के माध्यम से बोतलों में रसिका फल-रस और पेय का उत्पादन और विपणन जारी रखा। अप्रैल 1992 से दिसंबर 1992 के दौरान 1.46 लाख क्रेट (प्रत्येक में 200 मि॰ ली॰ की 24 बोतलों) रसिका की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह बिक्री 1.98 लाख क्रेटों की थी। रसिका फल रस उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय है। कम्पनी इस यूनिट के कार्यों का उपयुक्त विविधिकरण/पुनर्संरचना इत्यादि द्वारा अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

A. MODERN FOOD INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

Capital Structure:

The authorised share capital of the Company is Rs 15.00 crores and the paid up capital (including pending allotment) is Rs 8.9843 crores as on 31.12.1992. The outstanding loans repayable by the Company to the Govt. of India stood at about Rs 4.96 crores on 31.12.1992 against about Rs 3.59 crores on 31.12.1991.

Physical Performance:

Bread : The Company continued to produce and market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity, brown bread and special bread for nutritional programmes at its 13 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi, Hydrabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras and Ranchi. The total sale of bread during the period April 1992 to December 1992 was 15.32 crores S.L. as compared to 14.81 crores S.L during the corresponding period of last year. The commercial sales during April, 1992 to December, 1992 were 12.98 crores SL as against 13.93 crores SL during the previous year, while the nutritional sales were 2,34 crores SL as against 0.88 crores SL for the corresponding period of previous year.

To increase the sales of bread further and to ensure its availability in the far-flung areas where the Company does not have its bread plants, the Company is entering into Franchise Agreement with various private manufactures of bread whereby nutritious breads will be made available to the consumers in far off places. This also brings income in the shape of royalty. During April to December, 1992 the Franchised Units sold 192 lakhs SL and the Company earned Royalty amounting to Rs. 10.00 lakhs (approximately).

FRUIT JUICE BOTTLING PLANT, DELHI: The plant continues to produce and market Rasika Fruit Juices and Drinks in bottles and through mobile vans and vending machines. The sale of Rasika during April, 1992 to December 1992 was 1.46 lakh crates (of 24 bottles of 200 ml. each) against 1.98 lakh crates during the corresponding period of last year. Rasika Fruit Drinks are quite popular with the consumers. The company is trying to make the unit's operations more viable by suitable diversification/ restructuring etc.

पेय यूनिट-वातित पेयः कम्पनी देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने विशेष अधिकार प्राप्त बॉटलर्स को विभिन्न वातित मृदु पेयों के लिए सांद्रणों का निर्माण और विपणन कर रही है। बाटलर्स ''डबल सेवन'', कोला, डबल सेवन और टिगलर, एक लाइम लेमन पेय को कम्पनी के ब्रांडनाम के अधीन वातित मृदु पेयों और रसिका ब्रांडनाम के अधीन फलों के पेयों का निर्माण और विपणन कर रहे हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 425 यूनिटों की तुलना में अप्रैल 1992 / दिसंबर 1992 की अवधि के दौरान सांद्रणों की कुल बिक्री 164 यूनिट थी।

तेल संयंत्र उज्जैनः अप्रैल 1992 से दिसम्बर 1992 की अवधि के दौरान ठेके पर कार्य न मिलने के कारण विलायक संयंत्र और शोधन प्रभाग में कोई कार्य नहीं किया गया। तेल संयंत्र ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान विलायक और शोधन प्रभाग में 2699 टन कच्चे माल का प्रसंस्करण किया था।

एक्सटूडर खाद्य यूनिट जयपुरः यूनिट ने राजस्थान सरकार के विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए अप्रैल 1992 से दिसम्बर 1992 के दौरान 950 मी॰ टन एक्सटूडर खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 723.14 मी॰ टन की आपूर्ति की।

रोलर आटा मिल फरीदाबादः अप्रैल 1992 से दिसम्बर 1992 की अवधि के दौरान परिचालन से होने वाले निम्न आर्थिक लाभ को देखते हुए यूनिट के विभिन्न मिल उत्पादों को तैयार करने के लिए मिल को नहीं चलाया।

फिर भी उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग और परिचालन को अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए यूनिट ने बिहार सरकार के विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरण के लिए भागलपुर यूनिट को आपूर्ति करने हेतु उर्जादायक आहार का उत्पादन शुरू किया है।

इसी अवधि के दौरान यूनिट ने भागलपुर यूनिट को 6057.50 मी॰ टन उर्जादायक आहार की आपूर्ति की।

फल प्रसंस्करण यूनिट भागलपुर

श्रमिक समस्या के कारण यूनिट में 5 जून 1990 से तालाबन्दी की गयी है। चूंकि देश के दक्षिणी भागों में आम उगाने वाले क्षेत्रों में संयंत्र को ले जाने का खर्च अलाभकारी है अतः कम्पनी ने संयंत्र और मशीनरी के निपटान का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर कम्पनी बिहार सरकार के पोषाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक उर्जादायक खाद्य यूनिट की स्थापना कर रही है। इस बीच यह यूनिट बिहार सरकार के पोषाहार आटा मिल फरीदाबाद से प्राप्त उर्जादायक खाद्य की आपूर्ति कर रहा है।

अनुसंधान और विकास

कम्पनी द्वारा किये गये अनुसंधान एवं विकास कार्य के विशिष्ट क्षेत्र

अनुसंधान और विकास केन्द्र की गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्र और पहलू सम्मिलित हैं जो उत्पाद विकास, प्रक्रिया उत्पाद मानकीकरण और उपयुक्त उत्पाद मिश्रणों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से लागत कम करने से संबंधित हैं।

BEVERAGE UNIT-AERATED BEVERAGES: The Company is producing and marketing concentrates for various aerated soft drinks and Fruit Drinks to its franchised bottlers located in different parts of the country. The bottlers are producing and marketing aerated soft dirinks under the Company's brand names of "Double Seven' Cola, "Double Seven" Orange, Tingler, as Lime lemon drink, and the fruit drinks under the brand name "Rasika". The total sale of concentrate during the period April, 1992 to December, 1992 was 164 units as compared to 425 units during the corresponding period of last year.

OIL PLANT, UJJAIN: During the period April, 1992 to December, 1992 there was no operation in the Solvent Extraction plant as well as in the Refinery Section due to non-availability of job orders. During the corresponding period of last year, the oil plant processed 2699 tonnes of raw materials in the Solvent and Refinery Sections.

EXTRUDER FOOD UNIT, JAIPUR : The unit supplied 950 MT of extruder food during April 1992 to december 1992 as compared to supply of 723.14 MT during the corresponding period of last year, to the various feeding programmes of the Govt. of Rajasthan.

ROLLER FLOUR MILL, FARIDABAD: During the period April., 1992 to December, 1992 the unit has not operated the Mill for production of various milled products in view of low economic viability of the operations.

However, to utilise the infrastructure available and make the operations more viable, the unit has taken up the production of Energy Food for supplies to Bhagalpur Unit for distribution under the various feeding programmes of the Govt. of Bihar.

During this period, the Unit has supplied 6057.50 MT of Energy Food to Bhagalpur Unit.

FRUIT PROCESSING UNIT, BHAGALPUR: This is under lock-out since June 5, 1990 due to disturbed labour situation. Since the cost of shifting of the plant to Mango growing area in Southern part of the country has become uneconomical, the Company has decided to dispose of the plant and machinery. In its place, Company is setting up an Energy Food Unit under the Feeding Programmes of the Bihar Govt. In meantime, the Unit is supplying Energy Food obtained from RFM, Faridabad through its Patna godown to the Feeding Programmes of the Bihar Govt.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

SPECIFIC AREAS IN WHICH R&D WORK WAS CARRIED OUT BY THE COMPANY

R&D Centre's activities encompassed several areas and aspects relating to product development, process/product standardisations, cost economisation through appropriate product mixes and processes.

तकनीकी वाणिज्यिक संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए कार्बनीकृत फल आधारित पेयों का प्रयोग के तौर पर उत्पादन, फलों के स्वाद वाले सिंथेटिक सांद्रणों का विकास; रस, विविध प्रकार की डबल रोटियां और बन, उर्जादायक आहार और एक्सटूडर फूड कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अनुसंधान और विकास केन्द्र ने कार्य किया है। अनुसंधान और विकास केन्द्र ने पैदावार के मानकों की पुनरीक्षा और विभिन्न किस्म की डबल रोटियों के लिए मानक निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्य से प्राप्त लाभ

अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन [illegible] उर्जादायक आहार का और अधिक उत्पादन किया जा रहा है। कार्बनीकृत फल आधारित पेयों के लिए पथ प्रदर्शन से उपभो[illegible]ओं को अनेक अधिक पोषक वातित पेय उपलब्ध होंगे। पोपक आपूर्ति के लिए अभिप्रेत उत्पादों में एक्सटूडेड खाद्यों और उर्जादाय[illegible] खाद्यों का मिश्रण करके किए गये संशोधन से सामग्री की लागत में बचत करने में कम्पनी को मदद मिलेगी। इसी दिशा में प्रयास क[illegible]ड में सुधार करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। विकसित किए गये विभिन्न बेकरी उत्पादों से कम्पनी को भावी [illegible] मिश्रण को विविधीकृत करने में मदद मिलेगी।

भावी कार्य योजना

अनुसंधान और विकास केन्द्र, वाणिज्यिक दोहन के लिए खाने के लिए तैयार एक्सटूडेड औ[illegible]पपाडेड खाद्यों को मिलाने, परिष्कृत ऊर्जादायक खाद्यों, ब्रेड सुधार प्रणाली, विविध प्रकार के केक और कम्पनी के उत्पादों के लिए [illegible]किंग सामग्री तथा प्रक्रियाओं के अनेक क्षेत्रों में काम करने पर विचार कर रहा है।

भावी परियोजनाएं

(क) अन्नानास रस सान्द्रण संयंत्र, सिल्चरः यह संयंत्र न चल पाने के कारण शीघ्र बन्द किया जायेगा।

(ख) दिल्ली में छठी ब्रेड लाइन फरवरी, 1993 तक चालू किए जाने की आशा है।

(ग) **पोषाहार संयंत्र उदयपुरः** कम्पनी द्वारा राजस्थान सरकार के लिए पोषाहार के निर्माण और आपूर्ति के लिए ही उदयपुर में एक पोषाहार संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए जगह प्राप्त कर ली गयी है और तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा निदेशक मण्डल द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया है। किन्तु राजस्थान सरकार ने पोषाहार के फार्मूले को बदल दिया है और इसे अभी आपूर्ति/खरीद मूल्य इत्यादि के बारे में कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं।

कम्पनी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राजस्थान सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है।

विचाराधीन परियोजनाः

कम्पनी अधिक पोषक खाद्य पदार्थ पोषाहार/गेहूं पर आधारित ऊर्जादायक खाद्य और बियर निर्माण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण पर विचार कर रही है।

Pilot scale production of RTS Carbonated Fruit based everages to assess the techno commercial feasibility, development of synthetic fruit flavoured concentrates, rusks variety breads and buns, energy foods and extruder foods are some of the areas R&D Centre has worked on. R&D Centre played a major role in fixation of norms in the review of yield standards and different varieties of bread.

BENEFITS DERIVED AS A RESULT OF THE ABOVE R & D WORK

Better yield in energy food production are being achieved with the implementation of recommendations given by R & D Centre. With the pioneering work on carbonated fruit based beverages, a range of aerated and more nutritive RTS beverages would be available to the consumers. Modifications in product mix with extruded food and energy foods meant for nutritional supplies would help the Company in saving on material costs. Bread improver system being developed is an attempt in a similar direction. Variety bakery products developed would help the company for future expansion and diversification of product mix.

FUTURE PLAN OF ACTION

R&D Centre contemplates to work in a number of areas to include RTE Extruded and expanded foods for commerical exploitation, modified energy foods, bread improver systems, variety cakes and development of packaging materials and processes for Company's products.

FUTURE PROJECTS :

a. Pineapple Juice Concentrate Plant, Silchar: Due to non feasibility, this plant is proposed to be disposed off.

b. Installation of 6th Brdead Line at Delhi is expected to be commissioned by Feb., 1993

c. Poshahar Plant at Udaipur : The Company proposes to set up a Poshahar Plant at Udaipur as a captive unit for manufacture and supply of Poshahar to the State Govt. of Rajasthan. The site for the project has been acquired and Techno-Economic Feasibility Report has been prepared and approved by the Board of Directors. However, the State Govt. of Rajasthan has changed the formulation of Poshahar and is also yet to sign a memorandum of understanding with the Company in respect of supply/ purchase priceetc. Company is awaiting the clearance of the Govt. of Rajasthan for taking further necessary action in the matter.

d. Project under consideration : The company is examining diversification into other areas such as manufacture of high nutrition food poshahar/wheat based energy foods and beer manufacture etc.

वित्तीय निष्पादन

(क) कारोबार

अप्रैल 1992 से दिसंबर 1992 के दौरान कम्पनी ने 6051.73 लाख रुपये का कारोबार किया जो पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 4334.06 लाख रुपये का था। 1991-92 में यह 6550.69 लाख रुपये और 1990-91 में 5775.04 लाख रुपये था। वर्ष 1992-93 के लिए यह अनुमान है कि कम्पनी का कारोबार 8015 लाख रुपये का होगा।

(ख) घाटा

वर्ष 1991-92 के दौरान कम्पनी को 3.02 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि 1990-91 में 2.57 करोड़ रुपये का घाटा था। अप्रैल 1992 से दिसंबर 1992 की अवधि के लिए कम्पनी को अनुमानित 1.38 करोड़ का लाभ हुआ और वर्ष 1992-93 के लिए कुल मुनाफा 1.48 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) स्टाफ संख्या

31.12.92 को विद्यमान स्टाफ संख्या 2577 थी और स्वीकृत स्टाफ संख्या 3040 है। इस तारीख को इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमशः 516, 71 और 58 थी।

FINANCIAL PERFORMANCE :

a. Turnover : The company's turnover during April 1992 to December, 1992 is Rs. 6051 lakhs as compared to Rs. 4334.06 lakhs in the corresponding period of last year. In 1991-92 turnover was Rs 6550.69 lakhs and Rs. 5775.04 lakhs for 1990-91. For the year 19920-93 it is estimated that the turnover of the Company would be Rs. 8015 lakhs.

b. Profit/losess : The company incurred loss of Rs. 3.02 crores during 1991-92 as against Rs 2.57 crores in 1990-91. For the period April, 1992 to December, 1992 the company has earned a profit of Rs. 1.38 crores (approximately) and over all profit for the year 1992-93 is estimated to be Rs. 1.48 crores.

c. Staff strength : The staff strength in position as on 31.12.93 was 2577 against sanctioned strength of 3040. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the date was 516 SC and 71 ST respectively and Ex-Servicemen 58.

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

क्रम सं॰	विवरण	अप्रैल, 92 से दिसंबर 92	अप्रैल 91 से दिसंबर 91	अनुमानित (1992-93)	वास्तविक (1991-92)
1.	ब्रेड (मानक डबल रोटियां करोड़ों में)	12.98	13.93	18.26	18.83
	वाणिज्यिक पोपाहार	2.34	0.88	3.24	2.20
	योग	15.32	14.81	21.50	21.03
2.	फल रस बॉटलिंग संयंत्रः बिक्री (लाख क्रेटों में, एक क्रेट-200 मि॰ली॰ की 24 बोतलें)	1.46	1.98	2.00	2.32
3.	पेय यूनिट बिक्री वातित पेय (प्रत्येक 10 कि॰ ग्राम की यूनिट में)	164	425	200	443
4.	तेल संयंत्र उज्जैन				
	(क) विलायक संयंत्र (प्रसंस्कृत कच्चा माल टनों में)	शून्य	2386	2000	4504
	(ख) रिफायनरी (प्रसंस्कृत कच्चा तेल टनों में)	शून्य	283	शून्य	283
5.	एक्सट्रूडिड खाद्य संयंत्र, जयपुर (बिक्री टनों में)	9.50	723.14	1450	1190.8
6.	रोलर आटा मिल, फरीदाबाद				
	(क) आटा मैदा इत्यादि की टनों में बिक्री	शून्य	331.17	शून्य	337.9
	(ख) भागलपुर यूनिट को भेजा गया उर्जादायक खाद्य टनों में	6057.50	शून्य	8000	569
7.	फल प्रसंस्करण यूनिट भागलपुर उर्जादायक खाद्य बिक्री टनों में	6082.35	शून्य	8000	434

MODERN FOOD INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

S.No.	Particulars	April' 92 Dec., 92	April'91 Dec., 91	Expected (92-93)	Actual (91-92)
1.	**Bread Sales** (in Crores SL				
	Commercial	12.98	13.93	18.26	18.83
	Nutritional	2.34	0.88	3.24	2.20
	Total	15.32	14.81	21.50	21.03
2.	**Fruit Juice Bottling Plant : Sales** (In lakh Crates-1 Crate-24 Bottles of 200 ml. each)	1.46	1.98	2.00	2.32
3.	**Beverage Unit : Sales Aerated beverages** (In Unit of 10 Kg each)	:164	425	200	443
4.	**Oil Plant Ujjain :** **a) Solvent Plant** : (Raw material Processed in-tonnes)	Nil	2386	2000	4504
	b) Refinery : (crude oil Processed-in tonnes	Nil	283	Nil	283
5.	**Extruder Food Plant-Jaipur** (Sales in Tonnes)	950.00	723.14	1450	1190.8
6.	**Roller Flour Mill-Faridabad :**				
	a) Sales in Connes of Maida Atta etc.	Nil	331.17	Nil	337.9
	b) Desatch of Energy Food in MT to Bhagalpur	6057.50	Nil	000	569
7.	Fruit Processing Unit Bhagalpur Sales in M.T. of Energy food.	6082.35	Nil	8000	434

(ख) उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक), गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक) की स्थापना मार्च 1982 में की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फल और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण कर उस क्षेत्र में बागवानी के विकास को बढ़ावा देना है।

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 2.75 करोड़ रुपये है। 30.9.92 की स्थिति के अनुसार निगम की बकाया देयता 103,41,950/- रुपये थी।

निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात त्रिपुरा राज्य के नलकटा में स्थापित अन्नानास रस तान्द्रण संयंत्र को जून 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र ने वर्ष 1992-93 के दौरान (दिसम्बर, 1992 तक) 62.34 मी० टन अन्नानास रस सान्द्रण तैयार किया जबकि इससे पहले वर्ष में 38.52 मी० टन सान्द्रण तैयार किया गया था। इसके अलावा निगम ने गंजनी तेल, गूदा, स्लिज जैसे विविध कृषि उत्पादों और जैम, जूस तथा अचार जैसे विभिन्न फल उत्पादों का विपणन किया।

निगम का 1992-93 के दौरान कुल कारोबार पिछले वर्ष के 58 लाख रुपये (अलेखा परीक्षित) की तुलना में 40 लाख रुपये होने का अनुमान है।

1992-93 के दौरान निगम को 138-00 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है जबकि 1991-92 के दौरान 159 लाख रुपये (अलेखा परीक्षित) का घाटा हुआ था।

नलकटा संयंत्र के असंतोषजनक कार्य के लिए उत्तरदायी घटकों का अध्ययन करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने यह पाया कि संयंत्र के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण यह है कि यूनिट द्वारा निवेश/ उत्पादन के अनुपात के लिए परिकल्पित मानदण्ड प्राप्त नहीं किए जा सके। समय अधिक लग जाने और स्थापित क्षमता के कम उपयोग के कारण प्रचालन से पहले के खर्च में भी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा नेरामक को कोई बिक्री सब्सिडी नहीं दी जा रही थी जबकि इसकी परिकल्पना की गयी थी।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारियों के अनुसरण में संयंत्र की गतिविधियों का विविधीकरण करके इसें समर्थ बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं। 31-12-92 की स्थिति के अनुसार स्टाक संख्या 74 थी जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 230 है। इस तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 8 और 10 थी।

B. NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD. (NERAMAC), GHWAHATI.

North Eastern Regional Agricultural marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North-Eastern Region, thereby, fostering development of horticulture in the Region.

The authorised share capital of the company is Rs. 5 crores and the paid-up capital is Rs. 2.75 crores. As on 30.9.92, the outstanding liability of the corporation was to the tune of Rs. 1,03,41,950/-.

The Corporation's first major project viz. Pineapple Juice Concentrate Plant set-up at Nalkata in the State of Tripura was commissionedin June, 1988. The plant produced about 62.34 MTs of pineapple juice concentrate during the year 1992-93 (upto Dec. 1992) as compared to 38.52 MTs during the previous year. Besides, the corporation marketed various agro products like citronella oil, pulp, slidge and various fruit prodcuts such as jam, juice and pickles.

The total turn-over of the Corporation during 1992-93 was estimated at Rs. 40 lakhs as against Rs. 58 lakhs (un-audited) during the previous year.

The operations of the Corporation during 1992-93 are anticipated to result in a loss of Rs.138.00 lakhs as against a loss of Rs. 159.00 lakhs (un-audited) during 1991-92.

The High Level Committee (HLC) constituted to study factors responsible for unsatisfactory working of the Nalkata Plant found that the operations were affected mainly due to the fact that the parameters envisaged in regard to input/out-put ratio could not be achieved by the unit. There was also increasein pre-operative expenses because of time over-run and under utilisation of the installed capacity. Further, no sale subsidy was being made available to NERAMAC, although envisaged in the projections.

Pursuant to various recommendations made by the High Level Committees, steps have been initiated to revitalise the plant by diversifying its activities.

The staff strength in position as on 31.12.1992 was 74 as against the sanctioned strength of 230 posts. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on this date was 8 and 10 respectively.